रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

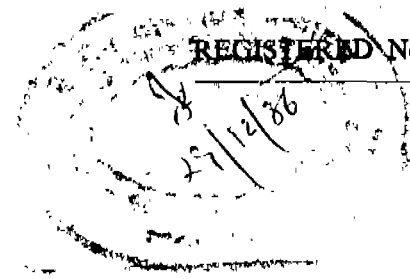

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 17] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 23, 1986/कार्तिक 1, 1908
No. 17] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 23, 1986/KARTIKA 1, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 1986

का. नि. आ. 19(अ)—केन्द्रीय सरकार, नौसेना अधिनियम, 1957 (1957 का 62) की धारा 184 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नौसेना (वेतन और भत्ते विनियम, 1966 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात:—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—

1. इन विनियमों का नाम नौसेना (वेतन और भत्ते) संशोधन विनियम, 1984 है।

2. नौसेना (वेतन और भत्ते) विनियम, 1966 में—

(1) विनियम 4 में, विद्यमान सारणी के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:—

सारणी

अधिकारियों के प्रवर्ग	परिशिष्ट
(क) सभी शाखाओं के कमांडर (अधिष्ठायी रैंक) तक के साधारण सूची आफिसर (इसमें नौसेना विमानन और पनडुब्बी शाखाएं सम्मिलित नहीं हैं)।	परिशिष्ट 2
(ख) नौसेना विमानन और पनडुब्बी शाखाओं के कमांडर (अधिष्ठायी रैंक) तक के साधारण सूची आफिसर।	परिशिष्ट 3
(ग)	परिशिष्ट 4
(घ) साधारण सूची (पूर्व शाखा सूची) अधिष्ठायी रैंक के आफिसर	परिशिष्ट 5
(ङ) विशेष कर्तव्य सूची आफिसर (इसमें पनडुब्बी काडर के विशेष कर्तव्य सूची आफिसर सम्मिलित है)	परिशिष्ट 6
(च) मिडशिपमैन	परिशिष्ट 7

(2) विनियम 15 में

(i) उपविनियम (1) में "4(i)" अंकों और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा;

(ii) उप विनियम (2) में "परिशिष्ट 4(ii)" शब्द अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर "परिशिष्ट 2 और 3" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

(iii) उप विनियम (4) में, "परिशिष्ट 3 और 4" शब्दों और अंकों के स्थान पर "परिशिष्ट 3" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

(3) विनियम 19 में, उप विनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:—

"(2) वेतन वृद्धि उस मास की पहली तारीख से प्रभावी होगी जिसमें वह शोध्य हो, चाहे आफिसर कर्तव्य पर हो या छुट्टी पर (जिसमें सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी भी है)";

(4) विनियम 21 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"21 क. युद्ध कैदी रिपोर्ट किए गए आफिसर : (i) आफिसर अपनी रैंक (जिसमें संवत्स कार्यकारी रैंक भी है) के उपयुक्त पूर्ण वेतन और भत्ते, बंदी रूप में शत्रु से उन्हें प्राप्त होने वाले वेतन की वाजब समायोजन के अधीन रहते हुए, पाने के हकदार होंगे। यदि पकड़े जाने के पूर्व पृथकता भत्ता लिया जा रहा था तो वह, भी जारी रहेगा किन्तु ऊंचा स्थान/अस्वास्थ्यकर जल वायु भत्ता संदत्त नहीं किया जाएगा।

(2) उपर्युक्त के अनुसार अनुज्ञेय वेतन और भत्ते, नौसैनिक वेतन कार्यालय द्वारा रखे जाने वाले आफिसरों के व्यक्तिगत वेतन लेखाओं में जमा किए जाते रहेंगे। आफिसरों के जमा खाते रकमों में से, प्रदाय भार साधक आफिसर, नौसैनिक वेतन कार्यालय द्वारा, राज्य के व्यय पर, उप विनियम (3) के अनुसार मासिक आबंटन भेजे जाएंगे।

(3) आफिसरों द्वारा किए गए कुटुम्ब आबंटन, उस अवधि के लिए देय रहेंगे जिसके लिए वेतन अनुज्ञेय है। यदि कोई कुटुम्ब आबंटन नहीं किया जा रहा था तो वेतन और भत्ते के 45% का नया आबंटन कुटुम्ब के लिए किया जाएगा।";

(5) विनियम 23 में, उप विनियम (2) में खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(ग) आफिसर, जब तट पर हो, तब पोत के भोजन का तथा अन्य सुविधाओं का उपभोग नहीं करते, सिवाए इसके कि वे वस्तु रूप में निशुल्क राशन या उसके बदले में रुपए लेंगे।

6. विनियम 25 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"25. छुट्टी और अस्थायी कर्तव्य के दौरान अनुज्ञेयता :— छुट्टी पर अनुपस्थिति तथा अस्थायी कर्तव्य की अवधि के दौरान भत्ता, निम्नलिखित के अधीन रहते हुए उसकी दर पर अनुज्ञेय होगा, जिस पर वह छुट्टी/अस्थायी कर्तव्य पर जाने से पूर्व लिया जा रहा था,

अर्थात्:—

(क) छुट्टी (सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी से भिन्न) के दौरान :—

(i) ऐसे आफिसरों की दशा में जो वार्षिक छुट्टी या वार्षिक छुट्टी के साथ संयोजित फर्लो या वार्षिक छुट्टी, यदि कोई हो, के साथ असंयोजित फर्लो पर हो, एक बार में चार मास ;

(ii) ऐसे प्राधिकारियों की दशा में जो रुग्णता छुट्टी पर हों, जिसमें ऊपर उपखंड (i) में उल्लेखित वार्षिक छुट्टी, यदि कोई हो, सम्मिलित है, एक बार में चार मास।

स्पष्टीकरण:—I उपर्युक्त खण्ड (ii) में अधिकथित चार मास की परिसीमा, क्षयरोग/कैंसर और अन्य लंबे समय तक चलने वाली बीमारियों से पीड़ित किसी आफिसर की दशा में, अन्य सभी बातों में इस विनियमों में अधिकथित शर्तों के अधीन रहते हुए, आठ मास तक बढ़ाई जा सकती है। क्षयरोग/कैंसर और अन्य लम्बे समय तक चलने वाली बीमारियों से पीड़ित किसी आफिसर की दशा में, आठ मास से अधिक छुट्टी के दौरान भत्ते की मंजूरी प्रत्येक मामले में सरकार द्वारा गुणाणु के आधार पर विनिश्चित की जाएगी।

स्पष्टीकरण II:—पहले चार मास से अधिक छुट्टी की अवधि के दौरान भत्ते का संदाय निम्नलिखित प्रमाणपत्र दिए जाने पर ही किया जाएगा, वह या उसका कुटुम्ब या दोनों उस अवधि के दौरान जिसके लिए प्रतिकरात्मक (नगर) भत्ते का दावा किया गया है, उसी स्थान (चाहे वह उसकी अर्हक सीमाओं के भीतर हो या किसी पार्श्वस्थ क्षेत्र में) पर निवास करते रहे थे जहां से वह छुट्टी पर गया था।

(ख) तीन मास से अनधिक अस्थायी कर्तव्य के दौरान।

(ग) यदि छुट्टी अस्थायी कर्तव्य के साथ संयोजित है तो छुट्टी के पहले तीन मास के दौरान।

स्पष्टीकरण:— उपर्युक्त विनियम के प्रयोजनार्थ "कुटुम्ब" से अभिप्रेत है आफिसर की / का पत्नी/पति, संतान और उसके साथ निवास करने वाले तथा उस पर पूर्णतया निर्भर अन्य व्यक्ति। ऐसा पति / पत्नी/संतान/माता/पिता जिनकी आय का स्वतंत्र स्रोत है, आफिसर के कुटुम्ब से संबंधित सदस्य नहीं समझे जाएंगे, सिवाय तब जब वह सदस्य केवल 100 रुपए प्रतिमास से अनधिक कुल पेंशन (जिसमें पेंशन में अस्थायी वृद्धि और मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान या अन्य सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं के समतुल्य पेंशन भी सम्मिलित है) प्राप्त कर रहा हो।

(7) विनियम 38 से 42 का लोप किया जाएगा ;

(8) विनियम 44 और 45 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :—

"44. जब भारत से बाहर जाने वाले आफिसर का कुटुम्ब भारत में किसी चयनित स्थान को जाता है; ऐसे विवाहित आफिसरों की दशा में जिनके कुटुम्ब विदेश में उनके कर्तव्य के स्थान पर साथ नहीं जाते, और एकल आफिसरों की दशा में, विछन्न भत्ता उसी दर पर अनुज्ञेय होगा, जिस पर उन्हें स्थानान्तरण भारत के भीतर होने पर स्थानान्तरण उपदान प्राप्त होता।

विछन्न भत्ते को उपर्यक्त दर पर कोई विनियम प्रतिकर भत्ता अनुज्ञेय नहीं होगा।

45. जब आफिसर की विदेश में मृत्यु हो जाती है।

ऐसे आफिसर की दशा में जिसकी अपने कुटुम्ब के साथ रहते हुए विदेश में मृत्यु हो जाती है और कुटुम्ब सरकारी व्यय पर भारत लौटता है, मृत आफिसर के कुटुम्ब को विनियम 43 में अधिकथित दर पर विछन्न भत्ता संदत्त किया जाएगा।";

(9) विनियम 48क में,—

(i) "गोताखोर प्रतिधारण फीस" शीर्षक के स्थान पर "गोताखोरी भत्ता / प्रतिधारण फीस" शीर्षक रखा जाएगा।

(ii) "और गहरे गोताखोर" शब्दों के स्थान पर "गहरे गोताखोर और निकासी गोताखोर" शब्द रखे जाएंगे।

(iii) मद (i) और (ii) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(i) निकासी गोताखोर आफिसर 150 रुपए प्रति मास

(ii) गहरे गोताखोर आफिसर 150 प्रति मास

(iii) पेस गोताखोर आफिसर 75 रुपए प्रतिमास"

10. विनियम 49 में सारणी के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:—

"सारणी

रैंक	नियुक्ति की प्रकृति	भत्ते की दर
1	2	3
(i) रियर एडमिरल	(क) समुद्र पर फ्लैग आफिसर कमांडिंग इंडियन फ्लीट	350 रुपए
(ii) कप्तान	सशस्त्र और समुद्रत पोत की स्वतंत्र कमान	200 रुपए
(iii) कमांडर,	सशस्त्र और समुद्रत पोत की स्वतंत्र कमान	100 रुपए
लेफ्टिनेंट कमांडर, लैफ्टिनेंट	(ख) अन्य	
(i) वाईस एडमिरल	फ्लैग आफिसर कमांडिंग इन चीफ आफिसर	300 रुपए
(ii) रियर एडमिरल	फ्लैग आफिसर कमांडिंग वेस्टर्न फ्लीट	300 रुपये
(iii) रियर एडमिरल	फैलग आफिसर कमांडिंग इस्टर्न फ्लीट	200 रुपए
(iv) रियर एडमिरल	मुख्य कमान धारक फ्लैग आफिसर कमांडिंग इन चीफ कमान धारक नौसेना क्षेत्र	200 रुपए
(v) कमोडोर	कमानधारक कमांडोर भारसाधक नौसेना क्षेत्र	100 रुपए

(II) विनियम 51 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"51 छुट्टी पर अनुपस्थिति, रूग्ण-सूची रियायत या अस्थायी कर्तव्य के दौरान अनुज्ञेयता यह ऐसे स्थायी पदधारियों को अनुज्ञेय होगा जो छुट्टी, सत्कार भत्ते रूग्ण-सूची, रियायत या अस्थायी कर्तव्य के दौरान मनोरंजन भत्ते के हकदार है और जिस तारीख से अर्हक नियुक्ति से उसका नाम काट दिया जाता है उसी तारीख से यह बन्द कर दिया जाएगा।"

12. विनियम 56 में, उपविनियम (i) में, "100 रुपए" अंकों और शब्द के स्थान पर "250 रु." अक्षर और अंक रखे जाएगें।

13. विनियम 59 में, विद्यमान सारणी के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात्:—

सारणी

रैंक	मासिक दर	
	पूर्ण दर	आधी दर
(i) कैडेट /मिडशिपमैन /कार्यकारी सब लेफ्टिनेंट /सब लैफ्टिनेंट	35/—रुपए	17.50रु.
(ii) लैफ्टिनेंट और उसके ऊपर	45/—रु.	22.50रु.

(14) विनियम 60 में,—

(ii) उपनियम (ii) के खंड (ड), में "सुरसुरा" के पश्चात् निम्नलिखित अन्त : स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

निस्तार, बेला, वागीर, वागली और वाघ शीर।"

स्पष्टीकरण:— निस्तार, बेला, वाग र, वागली और वाघशीर के आफिसरों और नौसैनिकों को अतिरिक्त धन" उनके आयुक्त होने की तारीख से पूर्ण दरों पर अनुज्ञेय होगा।"

(ii) उपनियम (i) निम्नलिखित नया खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:—

"(घ) मिसाईल नौकाएं— अतिरिक्त धन, निम्नलिखित मिसाईल नौकाओं पर सेवा का रहे आफिसरों को भी पूर्ण दरों पर देय होगा, अर्थात:— "विनाश, निर्घात विद्युत, निर्भीक, विजेता, नाशक, वीर, निपात, प्रताप प्रलय, प्रबल, प्रचण्ड, चपल चमक, चराग, चातक।

स्पष्टीकरण:— इन नौकाओं के आफिसरों और नौसैनिकों को अतिरिक्त धन, उनके आयुक्त होने की तारीख से अनुज्ञेय होगा —:—

(iii) उपविनियम (2) में, "सुरंग अपमार्जक" शब्दों से आरंभ होने वाले और "कच्छल" शब्द से समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(क) सुरंग अपमाजनक:

सागर या बेडा सुरंग अपमार्जक

(ख) भारतीय नौसेना के निम्नलिखित पोत :

"गोदावरी, कुठार, कृपाण, त्रिशूल, तलवार, ब्रह्मपुत्र, ब्यास, बेतवा, कृष्णा, कावेरी, शक्ति, मगर, घड़ियाल, गुलदार, यमुना, इन्वैस्टीगेटर, कमोर्ता, कदमत, किलतान, कवरत्ती, कच्छल अरनाला, एंड्रोथ, अंजदीप, अंदमान, अमीनी, गज, घोरपाड, केसर, शार्दुल, और शरभ, राजपूत, रणजीत और राणा;

(15) विनियम 60 के पश्चात निम्नलिखित उपशीर्ष और विनियम अन्त : स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"उच्च स्थान अस्वास्थ्यक जलवायु भत्ता

61. अनुज्ञेयता और दरें : सरकार द्वारा समय समय पर परिभाषित क्षेत्रों में सेवा कर रहे भारतीय नौसेना के अधिकारियों को उच्च स्थान अस्वास्थ्यकर जलवायु भत्ता निम्नलिखित दरों पर और विनियम 156-क के उपविनियम (2) में नौसैनिकों के लिए अधिकथित उन्हीं शर्तों के अधीन रहते हुए अनुज्ञेय होगा।

	रुपए प्रति मास
कार्यकारी सब लेफ्टिनेंट/सब लेफ्टिनेंट	100/—रु.
लैफ्टिनेंट	125/—रु.
लेफ्टिनेंट कमांडर	125—रु.
कमांडर और उससे उपर	200/—रु.

(16) विनियम 70 में, "1400रु. अंकों और अक्षर के स्थान पर जहां कहीं भी वे आते हैं, "2400रु." अंक और अक्षर रखे जाएगें।

(17) विनियम 71 में, "1200" र. अंकों और अक्षर के स्थान पर, "2100रु. अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

(18) विनियम 76 में,

(i) शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :
"केन्द्रीय राज्य सरकारों में सिविल पदों पर प्रतिनियुक्त आफिसर"

(ii) उपविनियम (i) में, "सिविल नियोजक में आफिसर शब्दों" के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"केन्द्रीय/राज्य सरकारों में सिविल पदों पर प्रतिनियुक्त आफिसर, सिवाय उन आफिसरों के जो आसूचना ब्यूरो, गृह मंत्रालय में प्रतिनियुक्त है, और जिन्हें प्राप्य यद्यपि सदा नहीं, सेना वर्दी पहननी पड़ती है,

(19) विनियम 95 में, उपविनियम (2) में, खंड (ख) में" "1800 रु." अंकों और अक्षर के स्थान पर "2000रु." अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

(20) उपशीर्ष उड़ान गारंटी, उपशीर्ष और विनियम 98 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"उड़ान वेतन"

"98" अनुज्ञेयता—विमानन शाखा के ऐसे आफिसर जिन्होंने पायलट (पा) और सर्वेक्षकों (स) के रूप में विशेषज्ञता प्राप्त की है और पायलटों तथा सर्वेक्षकों के प्रतिकृत काडरों में आते हैं, अपने सामान्य वेतन और भत्तों के अतिरिक्त विनियम 100 में दी गई दरों पर उड़ान वेतन प्राप्त करेंगे। यह पेंशन और उपदान के सिवाय सभी प्रयोजनों के लिए वेतन समझा जाएगा। उड़ान वेतन प्रादाय भारसाधक आफिसर, नौसेना, वेतन कार्यालय, मुम्बई को निम्नलिखित प्रमाणपत्र देने पर अनुज्ञेय होगा:—

टिप्पण 1 : वे आफिसर जो प्रशिक्षण की अवधि के लिए विनियम 54 के अनुसार उड़ान वेतन प्राप्त करते हैं, इन उपबंधों द्वारा शासित होते रहेंगे।

टिप्पण 2 : उड़ान वेतन सेवा-निवृत्ति पर्यन्त छुट्टी के वार्षिक छुट्टी अंश की अवधि के लिए अनुज्ञेय होगा। सेवानिवृत्ति पर्यन्त छुट्टी के वार्षिक छुट्टी अंश के दौरान में उड़ान वेतन लेने के लिए ऊपर अपेक्षित प्रमाणपत्र देना आवश्यक नहीं होगा।

उड़ान वेतन प्रमाणपत्र

(31 मार्च, 30 जून, 30 सितम्बर और 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाली तिमाहियों के अन्त में दिया जाने वाला प्रमाणपत्र)

उड़ान वेतन प्रमाण पत्र

(प्रत्येक मास के अन्त में दिया जाएगा)

प्रमाणित किया जाता है कि (रैंक) ————————(नाम) ————————————(वैयक्तिक सं) ————

शाखा ————————————

(क) *ने उसे दी गई उड़ान सुविधाओं का पर्याप्त उपयोग किया है और दक्षता का स्वीकार्य योग्य स्तर बनाए रखा है;

**को उड़ान की कोई सुविधा या अवसर नहीं मिला, किन्तु वह उड़ान कर्तव्य पर वापस आने पर उड़ान करने में असमर्थ है;

(ख) ने विनियम 101 में विहित अपेक्षाओं का पालन किया है;

(ग) ने सभी जोखिमों, जिनमें उड़ान करना भी है, के लिए कम-से-कम दो लाख रुपए का अतिरिक्त जीवन बीमा लाभ समूह बीमा (नौसेना) स्कीम के माध्यम से प्राप्त कर लिया है:—

*जो लागू न हो, उसे काट दें।

(घ) को उड़ान कर्तव्य के लिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से स्थायी रूप से अयोग्य घोषित नहीं किया गया है

कमान/अफसर वरिष्ठ अफसर

(21) विनियम 99 का लोप किया जाएगा;

(22) विनियम 10 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् "100 दरें—(i) आफिसरों का अनुज्ञेय उड़ान वेतन का दरें निम्नलिखित हैं :—

कमांडर और उससे नीचे	750.00 रुपए प्रतिमास
कप्तान	666.00 रुपए प्रतिमास
रियर एडमिरल और उससे ऊपर	600.00 रुपए प्रतिमास

(2) अनुज्ञेयता और उसकी शर्तें—उपर्युक्त दरों पर उड़ान वेतन इस बात के अधीन रहते हुए अनुज्ञेय होगा कि संबद्ध अधिकारी ने समूह बीमा (नौसेना) स्कीम के माध्यम से, सभी जोखिमों के लिए कम-से कम दो लाख रुपए का अतिरिक्त जीवन बीमा लाभ प्राप्त कर लिया हो। आफिसर को उक्त बीमा स्कीम के अधीन अनुज्ञेय उत्तरजीविता फायदे सेवा निवृत्ति/निर्मुक्त पर भी देय होंगे।

(23) (i) विनियम 101 के उप विनियम (i) में, (उड़ान बाउंटी शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां भी वे आते हैं "उड़ान वेतन शब्द रखे जाएंगे।

(ii) उपविनियम (i) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात:—

"टिप्पण—समूह बीमा स्कीम के अधीन बीमाकृत राशि और उसके अधीन किया गया अभिदाय 25000 रुपए के न्यूनतम विहित बीमा के लिए और 150 रुपए का औसत मासिक प्रीमियम उड़ान वेतन की बढ़ी हुई दरों की मंजूरी के प्रयोजन के लिए गणना में लिया जाएगा।"

(24) विनियम 102 से 104 तक का लोप किया जाएगा;

(25) (i) विनियम 105 क में, उपविनियम (1) के नीचे सारणी के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:—

टिप्पण—इस प्रयोजनार्थ वेतन विनियम 35 में यथा परिभाषित होगा।

III ख दरें—भत्ता निम्नलिखित दरों पर अनुज्ञेय होगा:—

(क) प्राथमिक कक्षाएं

(कक्षा 1 से 5) ········ 15 रुपए प्रतिमास प्रति बालक

(ख) माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक कक्षाएं (छठी कक्षा से तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश के प्रक्रम तक) ······ 20 रुपए प्रति मास प्रति बालक

किसी आफिसर को अनुज्ञेय कुल भत्ता एक बार में 60 रुपए प्रतिमास से अधिक नहीं होगा।

टिप्पण:—प्राथमिक कक्षाओं में किंडरगार्टेन और शिशु कक्षाएं सम्मिलित नहीं हैं।

III ग-शर्तें—भत्ता केवल उन्हीं मामलों में अनुज्ञेय होगा जहां कोई व्यक्ति, उस स्थान से, जहां वह तैनात है और/या निवास कर रहा है, दूर किसी स्थान पर अपने बालक या बालकों को विद्यालय भेजने के लिए, निम्नलिखित कारणों से विवश हो:—

(i) उस स्थान पर अपेक्षित स्तर के विद्यालय या विद्यालयों का अभाव स्पष्टीकरण-आंग्ल-भारतीय बच्चों के लिए भारतीय विद्यालय के और भारतीय बच्चों के लिए आंग्ल भारतीय विद्यालय को "अपेक्षित स्तर" का नहीं समझा जाएगा। उसी प्रकार, यदि अपनी धार्मिक अवस्था के सिद्धांतों के कारण दूसरी आस्था के निकाय द्वारा चलाए जा रहे किसी विद्यालय में जाने से कोई बालक निवारित होता है तो समझा जाएगा कि वह विद्यालय "अपेक्षित स्तर" का नहीं है। इसके अतिरिक्त यदि उस विद्यालय में शिक्षण का माध्यम आफिसर की भाषा से भिन्न भाषा है तो भी समझा जाएगा कि वह विद्यालय "अपेक्षित स्तर" का नहीं है।

स्पष्टीकरण 2—यदि किसी आफिसर का स्थानान्तरण उस स्थान से, जहां अपेक्षित स्तर का कोई विद्यालय नहीं है, उस स्थान पर हो जाता है, जहां ऐसा विद्यालय है और यदि वह किसी बालक या किन्हीं बालकों के संबंध में पहले स्थान पर भत्ता प्राप्त कर रहा था तो वह, उसके स्थानान्तरण के समय जिस विद्यालय में उसका/बालक या उसके बालक पढ़

रहा था या पढ़ रहे थे, उनके या उनके शैक्षिक वर्ष की समाप्ति तक उस भत्ते के लिए पात्र रहेगा, परन्तु यह तब जब कि बालक उस विद्यालय में उस अवधि तक अध्ययन करता रहे या करते रहें।

सारणी

रैंक	प्रतिमास रकम
कप्तान	
कमांडर	
लेफ्टिनेंट कमांडर	
लेफ्टिनेंट	550 रुपए
सब-लेफ्टिनेंट	

(ii) उपविनियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपविनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(5) उपर्युक्त दरों पर पनडुब्बी-वेतन इस बात के अधीन रहते हुए अनुज्ञेय होगा कि सम्बद्ध अधिकारी ने समूह बीमा (नौसेना) स्कीम के माध्यम से गर्भो जोखिमों के लिए कम से कम दो लाख रुपये का अतिरिक्त जीवन बीमा लाभ प्राप्त कर लिया हो। अधिकारियों को उक्त बीमा स्कीम के अधीन अनुज्ञेय उत्तरजीविता फायदे सेवानिवृत्त निर्मुक्त पर भी देय होगा।"

(26) विनियम III, में खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) ऐसे कैडेटों की दशा में, जिनके माता-पिता या अभिभावकों की आय 450-00 रुपए मास से कम है, 55 रुपए प्रतिमास की वित्तीय सहायता;

टिप्पण:—यदि माता-पिता की आय केन्द्रीय/राज्य सरकारों से प्राप्त होती है तो कोई वित्तीय सहायता अनुज्ञेय नहीं होगी;

(27) विनियम III के पश्चात् निम्नलिखित उपशीर्ष और विनियम अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"बालक शिक्षा भत्ता"

IIIक-पात्रता-ऐसे आफिसर जिन्होंने कम से कम एक वर्ष सेवा की है और जिनका वेतन 1200 रुपए प्रतिमास से अधिक नहीं है, विनियम IIIख और IIIग में विहित दरों और शर्तों पर बालक शिक्षा भत्ता प्राप्त करेंगे।

स्पष्टीकरण 3.—यदि किसी आफीसर के किसी बालक को, उस स्थान पर जहां तैनात हैं और/या निवास कर रहा हो, "अपेक्षित स्तर" के किसी विद्यालय में, रिक्ति न होने से या किसी अन्य कारणवश प्रवेश देने से इन्कार कर दिया जाता है और बालक को उस आफिसर के कर्तव्य और/या निवास के स्थान से दूर किसी विद्यालय में जाने के लिए विवश होना पड़ता है तो आफिसर भत्ते के लिए उसी प्रकार पात्र होगा, मानों उस स्थान पर अपेक्षित स्तर का कोई विद्यालय नहीं था।

स्पष्टीकरण. 4—उस स्थान पर जहां अपेक्षित स्तर का कोई विद्यालय नहीं है तो भत्ता अनुज्ञेय नहीं होगा यदि निकटतम विद्यालय इस प्रकार स्थित है कि बालक या बालकों को विद्यालय के खुलने के समय के लगभग से जाने और विद्यालय बन्द होने के समय के पश्चात, पर बहुत देर नहीं वापिस लाने के लिए सुविधाजनक रेल या बस सेवा है और एक ओर की यात्रा में एक घंटे से अधिक समय नहीं लगता है, जहां ये शर्तें पूरी न हों वहां उस स्थान से, जहां आफिसर तैनात है, वहां और/या निवास कर रहा है विद्यालय तक की दूरी कितनी भी हो, भत्ता अनुज्ञेय नहीं होगा।

(ii) फील्ड स्टेशन पर तैनाती,

(iii) ऐसे नाजुक क्षेत्र में तैनाती जहां कुटुम्ब के प्रधान के साथ कुटुम्ब का रहना विनिर्दिष्टतः विवर्जित है।

(3) घ—जहां भत्ते के लिए दावा किया जाता है वहां एकक/विरचना: का कमांडिंग आफिसर दावे के साथ निम्नलिखित प्रमाणपत्र देगा :

(क) तैनाती के स्थान पर अपेक्षित स्तर के विद्यालय की अनुपलभ्यता, या तैनाती के स्थान पर अपेक्षित स्तर के विद्यालय की उपलभ्यता किन्तु शैक्षिक प्राधिकारियों से अभिप्राप्त सूचना के आधार पर वहां प्रवेश देने से इन्कार।

(ख) यूनिट को ऐसे फील्ड/नाजुक क्षेत्र में अवस्थिति जहां कुटुम्ब के प्रधान के साथ कुटुम्ब का रहना विनिर्दिष्टतः विवर्जित है।

(28) विनियम 129 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"वार्षिक वेतनवृद्धियां उस मास की पहली तारीख से अनुज्ञात की जाएंगी जिसमें वे देय होती हैं।",

(29) विनियम 131 के पश्चात् निम्नलिखित विनियम अन्तः स्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

131. क प्रोन्नति पर वेतन का नियतन: (1) जब किसी नौसैनिक की प्रोन्नति अगले उच्चतर रैंक में हो जाती है तो निचले रैंक में एक वेतनवृद्धि के बराबर एक अभिप्रायात्मक रकम, प्रोन्नति की तारीख को उस व्यक्ति द्वारा वर्तमान में लिए जा रहे वेतन में जोड़ दी जाएगी और तत्पश्चात् उसका वेतन उच्चतर रैंक के वेतनमान में अगले उच्चतर प्रक्रम पर नियत किया जाएगा।

(2) निम्नतर वेतनमान के अधिकतम पर गतिरुद्ध नौसैनिकों के संबंध में अभिप्रायात्मक वेतन, उपर्युक्त उपविनियम (1) के अधीन अभिप्रायात्मक वेतन से ऊपर अगले प्रक्रम पर उच्चतर वेतनमान में वेतन नियत किए जाने से पूर्व निम्नतर वेतनमान में अंतिम वेतनवृद्धि के बराबर रकम वेतन में जोड़ कर संगणित की जाएगी।

(3) मास्टर चीफ पैटी मास्टर 2 वर्ग के रैंक में प्रोन्नति पर, चीफ पैटी आफिसर के रूप में लिए जा रहे आधारित वेतन में सद्व्यवहार बैज वेतन भी जोड़ दिया जाएगा और तत्पश्चात् उपर्युक्त उपविनियमों के अनुसार वेतन नियत किया जाएगा।";

(30) विनियम 132 के पश्चात निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात: "132 के युद्धबंदी रिपोर्ट किए गए नौसैनिक को वेतन और भत्तों की अनुज्ञेयता :

(क) युद्धबंदी रिपोर्ट किए गए नौसैनिक—ऐसे नौसैनिक (जिसमें अवैतनिक कमीशन रैंक धारक भी हैं) जो युद्धबंदी बना लिए गए हैं, सामान्य वेतन और भत्तों के हकदार होंगे, किन्तु बंदी के रूप में शत्रु से प्राप्त होने वाले वेतन को समायोजित किया जाएगा। किसी नौसैनिक (जिसमें अवैतनिक कमीशन रैंक धारक भी है) के युद्धबंदी के रूप में वेतन और भत्ते तब समाहृत कर लिए जायेंगे जब उसे सेवा से पदच्युत/सेवोन्मुक्त कर दिया जाता है या उसके आचरण के परिणामस्वरूप जिस के कारण शत्रु ने उसे बन्दी बना लिया हो या युद्ध बंद के रूप में शत्रु के हाथों में उसके आचरण के परिणामस्वरूप उसे कोई और दंड दिया गया हो। ऐसी पदच्युति/सेवोन्मुक्ति/दंड, नौसैनिक अधिकरण द्वारा विचारण के परिणामस्वरूप, या जांच न्यायालय की कार्यवाहियों या अन्य अन्वेषणों के आधार पर नौसेना अधिनियम भाग 3 के उपबंधों के अधीन प्रशासनिक रूप से हो सकता है।

स्पष्टीकरण ऊपर निर्दिष्ट पद "वेतन और भत्ते" में विशेष रक्षितावस्थान्तर भत्ता भी सम्मिलित है। यदि बन्दी बनाए जाने से पूर्व उच्च स्थानीय/अस्थायी कार

जलवायु भत्ता दिया जा रहा था तो वह बन्द कर दिया जाएगा और नीचे की सारणी में दी गई दरों पर एक विशेष प्रतिकारात्मक भत्ता अनुज्ञेय होगा :—

सारणी

नौसैनिक का रैंक	प्रति मास रकम
अवैतनिक कमीशंड आफिसर	34
एम सी पी ओ–I और II	29
सी पी ओ/पी ओ	22
एल एस	19
एस ई ए–I एस ई II	17

(ख) कुटुम्ब आवंटन—यदि कैदी बनाए जाने से पूर्व से ही कुटुम्ब आवंटन दिए जा रहे थे तो वे दिए जाते रहेंगे । जहां आवंटनों का संदाय नहीं किया जा रहा वहां नौसैनिक की शुद्धि परिलब्धियों के 60 प्रतिशत तक नए आवंटन दिए जा सकते हैं परन्तु यह तब जबकि :

(I) वह आवंटिती (आवंटितियों) का पोषण कर रहा था ;

(II) आवंटिती (आवंटितियों) को आर्थिक सहायता की आवश्यकता है, और

(III) संबद्ध पोत/स्थापन के कमान आफिसर की मंजूरी प्राप्त कर ली गई है ।"

(31) विनियम 134–क और 134–ख के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"134–क–पात्रता (1) ऐसे सभी नौसैनिक (जिसमें वे भी सम्मिलित हैं, जो कमीशंड आफिसरों के रूप में अवैतनिक रैंक धारण कर रहे हैं) जिन्होंने कम से कम एक वर्ष सेवा की है और जिनका वेतन 1200 रु. प्रतिमास से अधिक नहीं है, पश्चात्वर्ती विनियमों में दी गई दरों और शर्तों पर बालक शिक्षा भत्ता प्राप्त करेंगे ।

(2) केन्द्रीय सरकार के अधीन किसी विभाग या कार्यालय में की गई सभी सेवा बालक शिक्षा भत्ते को पात्रता के लिए एक वर्ष की सेवा की गणना करने के प्रयोजनार्थ हिसाब में ली जाएगी ।

(3) सशस्त्र बल/केन्द्रीय सरकार सेवा से सेवानिवृत्ति या सेवोन्मुक्ति से पूर्व की गई सेवा, पुनर्नियोजित सैनिक/सिविल पेंशन-भोगियों की दशा में उपर्युक्त भत्ते की मंजूरी के लिए एक वर्ष की अर्हक अवधि की गणना करने के लिए हिसाब में ली जाएगी, परन्तु यह तब जब कि उनकी पुनर्नियोजित सेवा और उनकी पूर्वतर सेवा निरन्तर है और सेवानिवृत्ति या सेवोन्मुक्ति अनुशासनिक आधारों पर या उनके अपने अनुरोध पर नहीं थी ।

(4) इस प्रयोजन के लिए वेतन, विनियम 146 में यथा-परिभाषित होगा ।

134ख दरें—भत्ता निम्नलिखित दरों पर अनुज्ञेय होगा :—

(क) प्राथमिक कक्षाएं :—

(कक्षा 1 से 5) ..... 15 रुपए प्रति बालक ।

(ख) माध्यमिकता उच्चतर माध्यमिक कक्षाएं :—(कक्षा 6 से तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश के प्रारम्भ तक) 20 रु. प्रति बालक ।

सेना कार्मिक को किसी एक समय पर अनुज्ञेय कुल भत्ता 60 रुपए प्रति मास से अधिक नहीं होगा ।

टिप्पण :—प्राथमिक कक्षाओं में किंडरगार्डन और शिशु कक्षाएं सम्मिलित नहीं हैं ।"

(32) विनियम 134–ग के पश्चात निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"134–घ(1) तारीख 1-11-73 से बालक शिक्षा भत्ता केवल उन्हीं मामलों में अनुज्ञेय होगा, जहां कोई व्यक्ति, उस स्थान से जहां वह तैनात है और/या निवास कर रहा है, दूर अपने बालक या बालकों को भेजने के लिए निम्नलिखित में से किसी कारण से विवश है" :—

(क) उस स्थान पर अपेक्षित स्तर के विद्यालय या विद्यालयों का अभाव ।

स्पष्टीकरण 1: आंग्ल भारतीय बच्चों के लिए भारतीय विद्यालय के और भारतीय बच्चों के लिए आंग्ल भारतीय विद्यालय को "अपेक्षित स्तर" का नहीं समझा जाएगा । उसी प्रकार, यदि अपनी धार्मिक आस्था के सिद्धांतों के कारण दूसरी आस्था के निकाय द्वारा चलाए जा रहे किसी विद्यालय में जाने से कोई बालक निवारित होता है तो समझा जाएगा कि वह विद्यालय "अपेक्षित स्तर" का नहीं है । इसके अतिरिक्त यदि उस विद्यालय में शिक्षण का माध्यम आफिसर की भाषा से भिन्न भाषा है तो भी समझा जाएगा कि वह विद्यालय "अपेक्षित स्तर" का नहीं है ।

स्पष्टीकरण 2: यदि किसी आफीसर का स्थानान्तरण उस स्थान से जहां अपेक्षित स्तर का कोई विद्यालय नहीं है, उस स्थान पर हो जाता है जहां ऐसा विद्यालय है और यदि वह किसी बालक या किन्हीं बालकों के संबंध में पहले स्थान पर भत्ता प्राप्त कर रहा था तो वह, उसके स्थानान्तरण के समय जिस विद्यालय में उसका बालक या उसके बालक पढ़ रहा था पढ़ रहे थे, उसके शैक्षिक वर्ष की समाप्ति तक उस भत्ते के लिए पात्र रहेगा परन्तु यह तब जब कि बालक उस विद्यालय में उस अवधि तक अध्ययन करता रहे या करते रहें ।

स्पष्टीकरण 3: यदि किसी आफीसर के किसी बालक को, उस स्थान पर जहां वह तैनात है और या निवास कर रहा है, "अपेक्षित स्तर" के किसी विद्यालय में, रिक्ति न होने से या किसी अन्य कारणवश प्रवेश देने से इन्कार कर दिया जाता है और बालक को उस आफीसर के कर्तव्य के और/या निवास के स्थान से दूर किसी विद्यालय में जाने के लिए विवश होना पड़ता है तो आफिसर भत्ते के लिए उसी प्रकार पात्र होगा, मानों उस स्थान पर अपेक्षित स्तर का कोई विद्यालय नहीं था ।

स्पष्टीकरण 4: उस स्थान पर जहां अपेक्षित स्तर का कोई विद्यालय नहीं है तो भत्ता अनुज्ञेय नहीं होगा यदि निकटतम विद्यालय इस प्रकार स्थित है कि बालक या बालकों को विद्यालय के खुलने के समय लगभग ले जाने और विद्यालय बन्द होने के समय के पश्चात् पर बहुत देर से नहीं वापस लाने के लिए सुविधाजनक रेल या बस सेवा है और एक ओर की यात्रा में एक घंटे से अधिक समय नहीं लगता है । जहां ये शर्तें पूर्ण न हों, वहां भत्ता, उस स्थान से, जहां आफिसर तैनात है/और/या निवास कर रहा है विद्यालय की दूरी चाहे कितनी भी हो अनुज्ञेय होगा ।

(ख) फील्ड स्टेशन पर तैनाती ,

(ग) ऐसे नाजुक क्षेत्र में तैनाती जहां कुटुम्ब के प्रधान के साथ कुटुम्ब का रहना विनिर्दिष्टतः विवर्जित है ।

(घ) ऐसे पैटी आफिसरों सीडिय नाविकों और नाविका I और II के लिए जो प्राधिकृत विवाहित स्थापन में हैं और जिन्हें क्वार्टर के बदले प्रतिकर नहीं दिया जाता है, वे विवाहित आवास भत्ते उपलब्धता ।

(ङ) ऐसे पैटी आफिसरों, लीडिंग नाविक और नाविक I और II के लिए जो प्राधिकृत विवाहित स्थापन में नहीं हैं और जो क्वार्टर के बदले में प्रतिकर मंजूर किए जाने के लिए पात्र नहीं है, विवाहित आवास की उपलब्धता ।

(च) पैटी आफिसरों लीडिंग नाविकों और नाविक I और नाविक II को विवाहित आवास का आवंटन जो एक पूर्ण शैक्षिक वर्ष के लिए नहीं है, परन्तु यह तब जब सरकारी आवास खाली करने पर वह व्यक्ति क्वार्टर के बदले में प्रतिकर का हकदार नहीं होगा ।

(ii) ऐसे बालकों की बाबत जिनके लिए 31 अक्तूबर, 1973 को बालक शिक्षा भत्ता अनुज्ञेय था, विनियम 134-क और के उस पश्चात्वर्ती विनियम में समाविष्ट आदेशों के अनुसार भत्ता पुनरीक्षित दरों पर और भले ही उपर्युक्त शर्तों का समाधान न हो तब तक अनुज्ञेय रहेगा जब तक वह वे उसी स्थान या उसी जिले के भीतर पढ़ते रहे वहां वह/वे 31 अक्तूबर, 1973 को अध्ययन कर रहा था या कर रहे थे और उस अवधि तक दिया जाएगा जब तक वे भत्ता मंजूर किए जाने के लिए अन्यथा पात्र थे या हैं ।

(iii) उपर्युक्त निबन्धों और शर्तों के अधीन रहते हुए ऐसे सेना कार्मिकों को जो नेपाल सिक्किम और भूटान के नागरिक हैं भारत में विद्यालयों में अध्ययनरत बालकों के अतिरिक्त उन बालकों के संबंध में भी बालक शिक्षा भत्ता दिया जा सकता है जो उनके देश/राज्य में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं ।

(iv) जहां बालक शिक्षा भत्ते के लिए दावा किया जाता है वहां यूनिट/विरचना का कमान आफिसर दावे के साथ निम्नलिखित प्रमाणपत्र भेजेगा :

(क) तैनाती के स्थान पर अपेक्षित स्तर के विद्यालय की अनुलब्धता या तैनाती के स्थान पर अपेक्षित स्तर के विद्यालय की अपर्याप्तता किन्तु शैक्षिक प्राधिकारियों से अनिप्राप्त सूचना के आधार पर वहां प्रवेश से इन्कार ।

टिप्पण:—सभी पूर्ववर्ती मामलों में कमान आफिसर या विभागाध्यक्ष संबंधित शैक्षिक प्राधिकारियों से सूचना अनिप्राप्त किए बिना ही उपर्युक्त प्रमाणपत्र दे सकता है यदि समय बीत जाने के कारण ऐसी जानकारी एकत्रित करने में कठिनाई है ।

(ख) ऐसे फील्ड/नाजुक क्षेत्र में यूनिट की अवस्थिति जहां कुटुम्ब के प्रधान के साथ कुटुम्ब का रहना विनिर्दिष्टतः विवर्जित है ।";

(33) विनियम 135-क में "80 प्रतिशत" अंक के स्थान पर "100 प्रतिशत" अंक रखा जाएगा ।"

(34) विनियम 145 में "80% अंक के स्थान पर "100%" अंक रखा जाएगा ।

(35) विनियम 148 में के उप विनियम (1) में, विद्यमान सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात्:—

"गहराई जल या दबाव के नीचे रहने के समय के अनुसार दर

फैदम	मीटर	पैसे प्रति मिनट
(क) 20 तक	36.58	10
(ख) 20 से 30	36.58 से 54.86	15
(ग) 30 से 40	54.86 से 73.15	20
(घ) 40 से 50	73.15 से 91.44	30
(ङ) 50 से 60	91.44 से 109.73	40
(च) 60 से 75	109.73 से 137.16	55
(छ) 75 से 100	137.16 से 182.88	70

(36) विनियम 148-क के विनियम (1) में विद्यमान सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात्:—

"सारणी	रुपए प्रतिमास
निकासी गोताखोर प्रथम वर्ग	75
निकासी गोताखोर द्वितीय वर्ग	65
निकासी गोताखोर तृतीय वर्ग,	55

(37) विनियम 149 में उपविनियम (1) में,

मद "(ii) गोताखोर" और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"पोत गोताखोर	75 रु० प्रतिमास
गहरे गोताखोर	98 रु० प्रतिमास"

(38) विनियम 150 के शीर्षक में "परीक्षा" शब्द के स्थान पर "प्रयास" शब्द रखा जाएगा ।

(39) शीर्षक "उड्डयन बाउटी" और विनियम 151 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात्:—

"उड्डयन वेतन

(151) (दरें) मंजूरीकृत रिक्ति पर कार्य कर रहे वायुकर्मी को, उसकी वायु कर्मीदल सेवा की अवधि के दौरान, उसके सामान्य वेतन और भत्तों के अतिरिक्त, प्रतिमास 374 रु. 50 पैसे उड्डयन वेतन संदत्त किया जायेगा । इसे पेंशन और उपदान के सिवाय सभी प्रयोजनों के लिए वेतन समझा जाएगा ।

(2) अनुज्ञेयता और उसकी शर्तें संदाय निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए होगा :—

(क) वायुकर्मी सशस्त्र बल कार्मिक भविष्य निधि को ऐसे अभिदाय की न्यूनतम अनिवार्य दर के अतिरिक्त विमानन के जोखिमों को समाविष्ट करने वाली सावधी बीमा पालिसी/ पालिसियों (भारतीय जीवन बीमा निगम या डाक जीवन बीमा निधि) को चलाने के लिए उसके द्वारा संदत्त प्रीमियमों की मासिक रकम तथा 75 रु. के बीच अन्तर की रकम का सशस्त्र बल कार्मिक भविष्य निधि में अभिदाय करना है । ऐसा अतिरिक्त अभिदाय उस मास से अगले मास के वेतन से प्रारम्भ होगा जिसमें वह उड्डयन वेतन के लिए अर्हता प्राप्त करता है ।

(ख) वायुकर्मी ने समूह बीमा (नौसेना) स्कीम के माध्यम से सभी जोखिमों के लिए कम से कम एक लाख रु० का अतिरिक्त जीवन-बीमा लाभ प्राप्त कर लिया है । कार्मिकों को उक्त बीमा-स्कीम के अधीन अनुज्ञेय उत्तरजीविका के फायदे सेवानिवृत्ति/निर्मुक्ति पर भी देय होंगे ।

(3) निम्नलिखित प्रमाण-पत्र देने पर उड्डयन वेतन दिया जाएगा:—

उड्डयन वेतन प्रमाणपत्र

(31 मार्च, 30 जून, 30 सितम्बर और 31 दिसम्बर को पड़ने वाली तिमाहियों के अंत में दिया जाएगा)

प्रमाणित किया जाता है कि (सेवा सं.) .....

(रैंक) ..... (नाम) .....

(ट्रेड) .....

*(क) ने उसे दी गई उड्डयन सुविधाओं का पर्याप्त उपयोग किया है और प्रवीणता का स्वीकार्य स्तर बनाए रखा है ।

*उसे उड़ाने की सुविधा का अवसर प्राप्त नहीं था किन्तु उड्डयन कर्तव्यों पर वापिस जाने पर वह उड्डयन करने में समर्थ है ।

*जो लागू न हो उसे काट दें ।

(ख) ने अस्त्र बल कार्मिक भविष्य निधि/अनिवार्य बीमा सुरक्षा में न्यूनतम अतिरिक्त अभिदाय से संबंधित शर्तें पूरी कर दी हैं।

(ग) को उड़ान कर्त्तव्यों के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से स्थायी रूप से अयोग्य घोषित नहीं किया गया।

कमान आफिसर/विंग आफिसर

टिप्पण 2: उड़ान-वेतन सेवानिवृत्ति पर्यन्त छुट्टी के वार्षिक छुट्टी अंश की अवधि के लिए अनुज्ञेय होगा।

सेवानिवृत्ति पर्यन्त छुट्टी के वार्षिक छुट्टी अंश के दौरान में उड़ान वेतन लेने के लिए ऊपर अपेक्षित प्रमाण पत्र देना आवश्यक नहीं होगा।

उड़ान-वेतन प्रमाण-पत्र

(31 मार्च, 30 जून, 30 सितम्बर और 31 दिसंबर को समाप्त होने वाली तिमाहियों के अन्त में दिया जाने वाला प्रमाण पत्र)

(40) विनियम 152 के उपविनियम (2) में,

"100 रु." अंकों और अक्षरों के स्थान पर "250 रु." अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

(41) विनियम 154 के उप विनियम (2) में, "2 रुपये" अंक और अक्षर के स्थान पर "7 रुपये" अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

(42) विनियम 155 में,

(i) उप विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"अतिरिक्त धन उन नौसैनिकों को, जिनमें वे भी हैं जो रिकार्ड पार्टियों के हैं, विनियम 58 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन और विनियम 60 में अधिकथित अलयामों के वर्गीकरण के अनुसार, पूर्ण या आधी दर पर देय होगा।";

(ii) उपविनियम (2) में, सारणी के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"सारणी

नौसैनिक	मासिक दरें	
	पूर्ण दर	आधी दर
मास्टर मुख्य पेटी आफिसर I और II	35.00	17.50
मुख्य पेटी आफिसर	35.00	17.50
पैटी आफिसर	30.00	15.00
मुख्य नाविक	30.00	15.00
नाविक I और II	25.00	12.50
परिचर (बार्ए)	20.00	10.00"

(43) विनियम 156 के पश्चात् निम्नलिखित शीर्षक और विनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"उच्च स्थान/अस्वास्थ्यकर जलवायु भत्ता

156क अनुज्ञेयता और दरें—सरकार द्वारा समय-समय पर परिभाषित क्षेत्रों में सेवा कर रहे नौसैनिकों को उच्च/अस्वास्थ्यकर जलवायु भत्ता निम्नलिखित शर्तों पर अनुज्ञेय होगा :

	प्रतिमास रुपए
मास्टर मुख्य पैटी आफिसर I और II	90
मुख्य पैटी आफिसर	
पैटी आफिसर	70
मुख्य नाविक	
नाविक I और II	50

(2) यह भत्ता उस तारीख से अनुज्ञेय होगा जिसको उस क्षेत्र में किसी यूनिट/विरचना में तैनात किए जाने पर कोई व्यक्ति विनिर्दिष्ट क्षेत्र में पहुंचता है; यह उस तारीख को समाप्त हो जाएगा जिसको वह उस क्षेत्र को छोड़ता है।

अपवाद : ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित में से एक या अधिक परिस्थितियों में अधिकतम 14 दिन तक उसक्षेत्र से अनुपस्थित रहा हो भत्ता प्राप्त करता रहेगा परन्तु यह तब तक जब वह उस क्षेत्र में लौट आता है जिसमें भत्ता अनुज्ञेय है :

(i) जब वह रुग्ण व्यक्तियों की सूची में हो;

(ii) जब वह आकस्मिक छुट्टी पर हो;

(iii) जब वह अस्थायी कर्त्तव्य पर हो;

स्पष्टीकरण 1: भत्ता ऐसे व्यक्तियों को अनुज्ञेय नहीं होगा जो अन्यत्र कोई पद धारण कर रहे हों और विनिर्दिष्ट क्षेत्र में अल्पायी कर्त्तव्य पर जाएं। तथापि, भत्ता ऐसे व्यक्तियों को अनुज्ञेय होगा जो अन्यत्र पद धारण कर रहे हों और 14 दिन से अधिक की निरन्तर अवधि के लिए विनिर्दिष्ट क्षेत्र में किसी यूनिट आदि से संबंद्ध हों और ऐसा कोई वैतनिक भत्ता प्राप्त नहीं कर रहे हैं जो अस्थायी कर्त्तव्य पर जाने वाले व्यक्तियों को अनुज्ञेय है।

स्पष्टीकरण 2: ऐसे व्यक्ति जो विनिर्दिष्ट क्षेत्र में टुकड़ियों में सेवा कर रहे हैं, भत्ते की अनुज्ञेयता के प्रयोजनार्थ तैनात समझे जाएंगे यदि टुकड़ियां उस क्षेत्र में 14 दिन से अधिक की निरंतरता अवधि तक अन्य नियोजित की जाती हैं। इसके विपरीत, ऐसी यूनिटों/विरचनाओं के, जो परिभाषित क्षेत्र में स्थित है, व्यक्ति, जो टुकड़ियों के साथ उस क्षेत्र से बाहर चले जाते हैं भत्ते के पात्र नहीं रहेंगे यदि टुकड़ियां 14 दिन से अधिक की निरन्तर अवधि के लिए उस क्षेत्र से बाहर रहती हैं।

स्पष्टीकरण 3: वार्षिक छुट्टी रुग्णता या आकस्मिक छुट्टी से भिन्न किसी अन्य छुट्टी पर क्षेत्र से अनुपस्थिति के दौरान किसी व्यक्ति को भत्ता अनुज्ञेय नहीं होगा।

स्पष्टीकरण 4: एक अर्हक क्षेत्र से दूसरे को संक्रमण के दौरान भत्ता अनुज्ञेय होगा।

(3) रियायती क्षेत्र के लिए अनुज्ञेय विशेष प्रतिकरात्मक भत्ता, इस भत्ते के अतिरिक्त अनुज्ञेय नहीं होगा।"

(44) विनियम 162 में, खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित अन्त स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ङ) ऐसे बाह्य स्थानों पर राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैंपों में उपस्थित रहने के दौरान (i) 30 दिन तक कमांडर राष्ट्रीय कैडेट कोर ग्रुप मुख्यालय

जब सरकार राशन को आपूर्ति नहीं कर सकती। (ii) 30 दिन के पश्चात् निदेशक राष्ट्रीय कैडेट कोर राज्य"

(45) विनियम 172-ख के पश्चात् निम्नलिखित उपशीर्ष और विनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"समुद्री कर्तव्य भत्ता"

172.ग—अनुज्ञेयता और दर : यह भत्ता पोत पर सेवा कर रहे सभी नाविकों को जिनमें अस्थायी कर्त्तव्य पर लगाए गए व्यक्ति भी हैं उन अवधियों के दौरान अनुज्ञेय होगा जब उनके पोत बेस पतन से यथार्थ में दूर हों

रैंक	प्रतिमास रुपए
मास्टर मुख्य पैटी आफिसर I और II	53
मुख्य पैटी आफिसर	
पैटी आफिसर	38
मुख्य नाविक	33
नाविक I और II	30";

(46) विनियम 174 में, सारणी के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"सारणी

प्रवर्ग		प्रतिवर्ष रुपए
प्रथम वर्ग सर्वेक्षण अभिलेखक	मास्टर मुख्य पैटी आफिसर वर्ग I और II	700
	मुख्य पैटी आफिसर	600
	पैटी आफिसर और उससे नीचे	500
	द्वितीय वर्ग सर्वेक्षणों अभिलेखक	400
	तृतीय वर्ग सर्वेक्षण अभिलेखक	300

(47) विनियम 176 में, उपविनियम (1) में, सारणी में मुख्य पैटी आफिसर से संबंधित प्रविष्टियों से पूर्व, निम्नलिखित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"रेटिंग	दैनिक दर	मासिक सीमा
मास्टर मुख्य पैटी आफिसर I और II	2 रुपए	अधिकथित नहीं है।

(48) (1) विनियम 176-क में, उपविनियम (1) में, सारणी के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"सारणी

रैंक	प्रतिमास रुपए
मास्टर मुख्य पैटी आफिसर I और II	350 रुपए
मुख्य पैटी आफिसर	300 रुपए
पैटी आफिसर	275 रुपए
मुख्य नाविक	265 रुपए
नाविक I और II	250 रुपए"

(II) उपविनियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपविनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(5) उपर्युक्त दरों पर पनडुब्बी वेतन इस बात के अधीन रहते हुए अनुज्ञेय होगा कि संबद्ध कार्मिक ने समूह बीमा (नौसेना) स्कीम के माध्यम से, सभी जोखिमों के लिए कम-से-कम एक लाख रुपए का अतिरिक्त जीवन बीमा लाभ प्राप्त कर लिया हो। कार्मिक को उक्त बीमा स्कीम के अधीन अनुज्ञेय उत्तरजीविता के फायदे सेवा निर्मुक्ति पर भी देय होंगे।

(49) विनियम 176-क के पश्चात्, निम्नलिखित उपशीर्ष और विनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"176-ख आशुलिपि भत्ता—(क) एक लीडिंग राइटर राइटर को तब जब वह कप्तान द्वारा समादिष्ट पोतों में या स्क्वाड्रन के लीडरों में आशुलिपिक के कर्त्तव्यों का निष्पादन कर रहे हों, (ख) एक मुख्य पैटी आफिसर राइटर/पैटी आफिसर राइटर को जो फ्लैग आफिसर कमांडिंग, भारतीय बेड़ा के कार्मचारीवृन्द में हों और आशुलिपिक के कर्त्तव्यों का निष्पादन कर रहे हों निम्नलिखित शर्तों पर, 30 रुपए प्रतिमास की दर से आशुलिपिक भत्ता अनुज्ञेय होगा :

(i) यह भत्ता केवल तभी संदत्त किया जाएगा जब उस व्यक्ति को अर्हित आशुलिपिक निर्णित किया गया हो और वह विहित व्यवसाय परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ले।

(ii) भत्ता केवल तभी अनुज्ञेय होगा जब व्यक्ति पोत पर सेवा रहा हो और सिविल कर्मचारीवृन्द उपलब्ध न हों।

(50) विनियम 177क के पश्चात् निम्नलिखित उपशीर्ष और विनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"कारावास/निरोध अधिनिर्णीत नाविकों के कुटुम्बों को निर्वाह भत्ता

177-ख-अनुज्ञेयता और दर : ऐसे विवाहित नाविकों के कुटुंब को, जिनके लिए कमान आफिसर या सेना न्यायालय द्वारा कारावास या निरोध अधिनिर्णीत किया जाता है किन्तु जिन्हें सेवा से पदच्युत नहीं किया जाता है, 60 रुपए प्रतिमास निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। भत्ता उस अवधि के दौरान देय होगा जिसमें वेतन और भत्ते समपहृत कर लिए जाते हैं। भत्ते को ऐसे व्यक्तियों को बाद में परिहार या दोषमुक्ति के रूप में उपलब्ध होने वाले किन्हीं पावनों मद्धे समायोजित किया जाएगा।

टिप्पण : जब उपर्युक्त रकम मनीआर्डर से भेजी जाती है तो मनीआर्डर का कमीशन सरकार पर प्रभारित किया जाएगा।"

(51) विनियम 178-क के पश्चात् निम्नलिखित उपशीर्ष और विनियम अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"बोनस

178-ख बोनस की अनुज्ञेयता-प्रत्येक नाविक के व्यक्तिगत चालू लेखा खाता में, प्रत्येक तिमाही के अन्त में लेखा खाता में विद्यमान जमा खाते अतिशेष की, उसमें से तिमाहियों के अंतिम मास के शुद्ध वेतन और भत्ते छोड़कर, 50 रुपए की प्रत्येक पूर्ण राशि पर 43.75 रुपए की दर से बोनस जमा किया जाएगा। बकाया में 50 रुपए से कम की राशियों को छोड़ दिया जाएगा।

उन व्यक्तियों की दशा में, जिनकी मृत्यु हो जाती है, बोनस उस तिमाही के पूर्ववर्ती तिमाही के अंतिम दिन तक जमा किया जाएगा जिसमें उनके खाते अंतिम रूप से बंद किये जाते हैं।

उस बोनस पर कोई आयकर प्रभारित नहीं किया जाएगा।";

(52) विनियम 191 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"191 पन्द्रह अगस्त, 1947 के पश्चात् दिए गए शूरता अलंकरण-वर और शर्तें (1) किसी आफिसर या नाविक को दिए गए शूरता अलंकरणों से संलग्न मासिक विशेष पेंशन की दरें निम्नलिखित होंगी :—

शूरता पारितोषिक		प्रतिमास पेंशन
		रुपए
(क)	(1) परम वीर चक्र	100.00
	(2) परमवीर चक्र की प्रत्यक पट्टी	40.00
(ख)	(1) महावीर चक्र	75.00
	(2) महावीर चक्र की प्रत्येक पट्टी	25.00
(ग)	(1) वीर चक्र	50.00
	(2) वीर चक्र की प्रत्येक पट्टी	20.00
(घ)	(1) अशोक चक्र	90.0
	(2) अशोक चक्र की प्रत्येक पट्टी	35.00
(ङ)	(1) कीर्ति चक्र	65.00
	(2) कीर्ति चक्र की प्रत्येक पट्टी	20.00
(च)	(1) शौर्य चक्र	40.00
	(2) शौर्य चक्र की प्रत्येक पट्टी	16.00

उक्त दरें 1 जनवरी, 1972 से प्रभावी होंगी और 15 अगस्त, 1947 के पश्चात् दिए गए सभी पारितोषिकों को लागू होंगी ।

(2) पेंशन उस कार्य/घटना की तारीख से अनुतोष होगी जिसकी बाबत अलंकरण प्रदत्त किया गया है ।

(3) एक समय में केवल एक अलंकरण (और उसकी एक या अधिक पट्टियों के लिए) पेंशन ली जाएगी और उच्चतर अलंकरणों के प्रदान किए जाने की तारीख से पेंशन की वह दर छोड़ दी जाएगी जो कम अनुकूल है।

(4) पेंशन अलंकरण प्राप्त करने वाले की मृत्यु तक अनुतोष होगी, और उसकी मृत्यु पर उसकी ऐसी विधवा को, जिसके साथ उसका विधिपूर्ण विवाह विधिमान्य संस्कार से हुआ था, अनुतोष होगी, और वह अपने पुनर्विवाह या मृत्यु पर्यन्त पेंशन प्राप्त करती रहेगी ;

परन्तु यदि विधवा अपने स्वर्गीय पति के भाई से पुनर्विवाह करती है और मृतक के ऐसे अन्य जीवित उत्तराधिकारियों के साथ निवास करती रहती है जो कुटुम्ब पेंशन के पात्र हैं तो उसे ऐसा संदाय किया जाता रहेगा ।

स्पष्टीकरण:—साधारणतया, किसी आफिसर/नाविक को देय पेंशन उसकी मृत्यु पर उस विधवा को निहित हो जाती है जो उसकी पहली पत्नी थी । किन्तु केन्द्रीय सरकार की विशेष मंजूरी से, ऐसी पेंशन को प्राप्तिकर्ता की, यदि पेंशन उस विधवा को जो प्राप्तिकर्ता की पहली पत्नी थी, इससे इसके पूर्व उपबंधित के अनुसार देय नहीं रहती तो सभी विधवाओं के बीच बराबर बांटा जा सकता है और सभी विधवाओं को पेंशन संदाय समाप्त हो जाएगी ।

(5) यदि किसी अविवाहित पुरुष को मरणोपरांत पारितोषिक दिया जाए तो मौद्रिक भत्ता उसके पिता या माता को दिया जाएगा और यदि मरणोपरांत पारितोषिक पाने वाला विधुर हो तो भत्ता 18 वर्ष से कम के यथास्थिति उसके पुत्र या अविवाहित पुत्री को संदत्त किया जाएगा ।

(6) निम्नलिखित अपराधों के लिए सिद्धदोष ठहराए जाने पर इस विनियम के अधीन पेंशन समपहृत करली जाएगी और भारत के राजपत्र में पारितोषिक का समपहरण अधिसूचित किए जाने की तारीख से बंद कर दी जाएगी, अर्थात् :—

(क) देशद्रोह

(ख) राजद्रोह

(ग) विद्रोह

(घ) कायरता

(ङ) संघर्ष के दौरान अभित्यजन

(च) हत्या

(छ) डकैती

(ज) बलात्संग

(झ) अप्राकृतिक अपराध

समपहृत पेंशन पारितोषिक के भारों के राजपत्र में यथा अधिसूचित प्रायोदर्शन पर संदेय हो जाएगी ;

(53) विनियम 209 और 210 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"209 आफिसरों की बाबत प्रतिकर (1) यदि किसी आफिसर की वैयक्तिक सम्पत्ति, जैसे उपस्कर, वस्त्र (जिसमें वैयक्तिक वस्त्र भी हैं) पुस्तकें, यंत्र औजार या उपसाधन नीचे अणित परिस्थितियों में गुम, क्षतिग्रस्त या नष्ट हो जाते हैं तो सरकार उस आफिसर को प्रतिकर देने के लिए दायी होगी परन्तु यह तब जब कि वह हानि, क्षति या नाश दावेदार की उपेक्षा के कारण नहीं हुआ है ।

(1) जब हानि, क्षति या नाश, किसी शत्रु या विप्लव कारियों की कार्रवाई से हुआ हो ;

(2) जब हानि, क्षति या नाश तब किसी दुर्घटना के कारण हुआ हो जब वह व्यक्ति कर्तव्य पर, सड़क, नदी, रेल, समुद्र, वायु मार्ग से यात्रा कर रहा हो ;

(3) जब वस्तुओं की हानि, क्षति या नाश किसी नौसैनिक पोत सरकारी भवन में, जो सरकार के स्वामित्व में हो या किराये अथवा भाड़े पर हो, या समुचित प्राधिकार के अधीन और किसी मान्यताप्राप्त सेवा के प्रयोजनार्थ प्रयुक्त किसी टैंट में हुआ हो, परन्तु यह तब जब उस आफिसर के पास अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उस आवास में रहने के अतिरिक्त कोई विकल्प न हो ;

(4) जब रेल, सड़क, वायुमार्ग नदी या समुद्र मार्ग से यात्रा में वस्तुओं की हानि, क्षति या नाश हो जाता है परन्तु यह तब जब वे उस समय सरकार के प्रभारांधीन और अभिरक्षा में थी ;

(5) जब वस्तुएं सक्षम प्राधिकारी के आदेश के अधीन नष्ट की जाती हों,

(6) जब वस्तुओं की हानि, क्षति या नाश कर्तव्यों के निर्वहन के के दौरान होता है।

2. प्रतिकर प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा संयोजित जांच बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर मंजूर किया जाएगा । ऐसी मदों की बाबत जो आफिसरों द्वारा सज्जा भत्ते में से क्रय की जानी अपेक्षित है, इस बात का निर्धारण जांच बोर्ड करेगा कि नष्ट हो गई मद की लागत और कमीशन किए जाने के समय किए गए प्रारम्भिक सज्जा भत्ते में से क्रय की गई सभी मदों की कुल लागत के बीच का अनुपात क्या है और प्रतिकर प्रारम्भिक सज्जा भत्ते के उसी अनुपात तक सीमित होगा ।

3. ऐसे उपस्कर, वस्त्र या अन्य आवश्यक वस्तुएं, जो मुफ्त दी जाती हैं, जांच बोर्ड की सिफारिशों पर सरकार द्वारा बदले में दी जाएगा।

4. वस्त्रों (जिनमें वैयक्तिक वस्त्र भी हैं), उपस्कर और वस्तुओं की ऊपर वर्णित परिस्थितियों में होने वाली हानि के लिए प्रतिकर जांच बोर्ड द्वारा सिफारिश किए जाने पर, प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा मंजूर किया जा सकता है किन्तु यह प्रत्येक अलग-अलग मामले में 1000/- रुपए तक सीमित होगा। आभूषणों, प्रशीतकों, वातानुकूलकों तथा अन्य मूल्यवान वस्तुओं के लिए प्रतिकर नहीं दिया जाएगा। सक्षम प्राधिकारी, प्रतिकर की रकम का निर्धारण करते समय वस्तुओं का लागत मूल्य उपयोग की अवधि और उनके अवक्षयण को भी संगणना में लेगा। यदि जांच बोर्ड उपर्युक्त रकम से अधिक प्रतिकर की सिफारिश करता है तो मामला गुणावगुण के आधार पर विचारण के लिए सरकार को निर्दिष्ट किया जा सकता है।

210. नाविकों की दशा में प्रतिकर (1) यदि नाविक की वैयक्तिक संपत्ति, जैसे, उपस्कर, वस्त्र (जिनमें वैयक्तिक वस्त्र भी हैं), पुस्तकें, यंत्र, औजार, या उपसाधन नीचे वर्णित परिस्थितियों में गुम, क्षतिग्रस्त या नष्ट हो जाते हैं तो सरकार उस नाविक को प्रतिकर देने के लिए दायी होगी परन्तु यह तब जब कि वह हानि, क्षति या नाश, दावेदार की उपेक्षा के कारण नहीं हुआ है।

(i) जब हानि, क्षति या नाश, किसी शत्रु या विप्लवकारियों कार्रवाई से हुआ हो;

(ii) जब हानि, क्षति या नाश तब किसी दुर्घटना के कारण हुआ हो जब वह व्यक्ति, कर्तव्य पर, सड़क, नदी, रेल, समुद्र या वायु मार्ग से यात्रा कर रहा हो;

(iii) जब वस्तुओं की हानि, क्षति या नाश किसी नौसैनिक पोत या सरकारी भवन में जो सरकार के स्वामित्व में हो या किराए अथवा भाड़े पर हो, या समुचित प्राधिकार के अधीन और किसी मान्यताप्राप्त सेवा के प्रयोजनार्थ प्रयुक्त किसी टेंट में, हुआ हो परन्तु यह तब जब उस व्यक्ति के पास अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उस आवास में रहने के अतिरिक्त कोई विकल्प न हो;

(iv) जब रेल, सड़क, वायुमार्ग, नदी या समुद्र मार्ग से यात्रा में वस्तुओं की हानि, क्षति या नाश हो जाता है परन्तु यह तब जब वे उस समय सरकार के प्रभाराधीन और अभिरक्षा में थीं;

(v) जब वस्तुएं सक्षम प्राधिकारी के आदेश के अधीन नष्ट की जाती हैं;

(vi) जब वस्तुओं की हानि, क्षति या नाश कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान होता है;

(2) प्रतिकर, जांच बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा मंजूर किया जाएगा।

वैयक्तिक वस्त्रों की बाबत अधिकतम सीमा "अवरुद्ध दरें" होगी।

(3) ऐसे उपस्कर, वस्त्र या अन्य आवश्यक वस्तुएं जो मुफ्त दी जाती हैं, जांच बोर्ड की सिफारिशों पर सरकार द्वारा बदले में दी जाएंगी।

(4) वस्त्रों (जिनमें वैयक्तिक वस्त्र भी हैं), उपस्कर और वस्तुओं की ऊपर वर्णित परिस्थितियों में होने वाली हानि के लिए प्रतिकर, जांच बोर्ड द्वारा सिफारिश किए जाने पर, प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा मंजूर किया जा सकता है किन्तु वह प्रत्येक अलग-अलग मामले में 500 रुपए तक सीमित होगी। आभूषणों, प्रशीतकों, वातानुकूलकों तथा अन्य मूल्यवान वस्तुओं के लिए प्रतिकर नहीं दिया जाएगा। सक्षम प्राधिकारी, प्रतिकर की रकम का निर्धारण करते समय वस्तुओं का लागत मूल्य, उपयोग की अवधि और उनके अवक्षयण को भी संगणना में लेगा। सिविल वस्त्रों की दशा में प्रतिकर सिविल वस्त्र भत्ते तक निर्बंधित होगा। यदि जांच बोर्ड उपर्युक्त रकम से अधिक प्रतिकर की सिफारिश करता है तो मामला गुणावगुण के आधार पर विचारण के लिए सरकार को निर्दिष्ट किया जा सकता है।

54. उक्त विनियमों के विनियम 220 में निम्न रूप में संशोधन किया जाएगा :—

उपर्युक्त विनियमन की पंक्ति 2 में आने वाले शब्द "प्रतिकर" के पश्चात् "उससे भिन्न जो विनियम 209 और 210 अधीन है", शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

(55) विनियम 246 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"246. सीमाशुल्क के संदाय के लिए अग्रिम —ऐसे आफिसरों के जो विदेश में नियमित पद धारण कर रहे हैं और वे जिन्हें विदेशी सरकारों को प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाता है, जिनकी कार्यावधि एक वर्ष या अधिक है, जो विनियम 245 के अधीन मोटर कार के लिए अग्रिम लेने के हकदार हैं, केन्द्रीय सरकार, विदेश में क्रय की गई और उनके द्वारा स्थानांतरण पर भारत में लाई जा रही कारों पर सीमाशुल्क देने में उन्हें समर्थ बनाने के लिए अग्रिम मंजूर कर सकती है। ऐसे अग्रिम मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी, भारत सरकार है।

टिप्पण. सीमा शुल्क के संदाय के लिए मंजूर किए गए अग्रिम पर कोई ब्याज प्रभार्य नहीं होगा।

(2) भारत में सीमाशुल्क के संदाय के लिए अग्रिम को पृथक अग्रिम माना जाएगा और उसे मोटर कार के क्रय के लिए पहले से मंजूर अग्रिम यदि कोई है, के साथ आमेलित नहीं किया जाएगा।

(3) सीमाशुल्क के संदाय के लिए अग्रिम की रकम 12000 रुपए या वास्तव में संदेय सीमाशुल्क होगी। यदि किसी आफिसर ने मोटर कार के क्रय के लिए पहले ही उधार लिया है और वह पूर्णतः प्रतिसंदत्त नहीं है तो सीमाशुल्क उधार और मोटर कार-उधार का बकाया मिलाकर 14000 रुपए या 14 मास का वेतन (100 रुपए प्रतिमास से कम वेतन लेने वाले आफिसरों की दशा में 17 मास का वेतन) दोनों में से जो भी कम हो, उससे अधिक नहीं होगा।

टिप्पण - सीमाशुल्क के संदाय के लिए मंजूर किए गए अग्रिम की रकम, किसी भी दशा में, वास्तव में संदेय सीमाशुल्क से अधिक नहीं होगी।

(4) सीमाशुल्क—अग्रिम की रकम, संबद्ध आफिसरों को जो सीमाशुल्क के संदाय के लिए तत्पश्चात प्रतिपूर्ति की जाने वाली रकम मद समायोजित की जाएगी। यदि अग्रिम की मूल रकम, प्रवृत्त आदेशों के अनुसार, प्रतिपूर्ति की गई रकम मद्धे पूर्णतया समायोजित नहीं की जा सकती है तो बकाया रकम, उस मास से, जिसमें सीमाशुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है, अगले मास से संबद्ध आफिसर के वेतन से एकमुश्त वसूल की जाएगी।

(5) ऐसे आफिसर की दशा में जो सेवानिवृत्त होने वाला है, वसूली इस प्रकार विनियमित की जाएगी कि सेवानिवृत्ति से पूर्व उस आफिसर को अंतिम वेतन देने के समय तक अग्रिम का बकाया पूर्णतया वसूल हो जाए।

(6) सीमाशुल्क के संदाय के लिए अग्रिम विदेश भेजे जाने वाले उन आफिसरों को अनुज्ञेय नहीं होगा जो विनियम 245 के अधीन मोटर कार के लिए अग्रिम के हकदार नहीं हैं, अर्थात् वे जिन्हें विदेश अस्थायी कर्तव्य पर प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाता है।

(7) मोटर कार के क्रय के लिए अग्रिम की मंजूरी के लिए विहित अन्य शर्तें सीमाशुल्क के संदाय के लिए अग्रिम की दशा में यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगी।

(8) निम्नलिखित उधारों के लिए निष्पादित किए जाने वाले बंधक पत्र के प्ररूप परिशिष्ट 11-ग और 11-घ में अधिकथित है :—

(क) जब मोटरकार के क्रय या सीमाशुल्क के संदाय के लिए केवल एक अग्रिम मंजूर किया जाता है या जब दोनों प्रयोजनों के लिए केवल एक अग्रिम मंजूर किया जाता है;—परिशिष्ट 11-ग और,

(ख) जहां सीमाशुल्क के संदाय के लिए अग्रिम पूर्वतर अग्रिम से मोटरकार क्रय किए जाने के पश्चात् मंजूर किया जाता है—परिशिष्ट 11-घ।";

(56) विनियम 246 के पश्चात् निम्नलिखित विनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"246-क-अतिरिक्त शर्तें—उन मामलों में जहां आफिसर विनियम 246 के अधीन उधार लेने के हकदार हैं किन्तु विदेश में क्रय करके भारत में लाई गई कारों पर, जिन पर साधारणतया आयात अनुज्ञप्ति अनुज्ञेय है, सीमा शुल्क की प्रतिभूति के लिए हकदार नहीं हैं, उधार निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए :—

(क) सीमाशुल्क के संदाय के लिए उधार की रकम 12000 रुपए या वास्तव में संदेय सीमाशुल्क तक निर्बन्धित होगी। इसके अतिरिक्त सीमाशुल्क उधार तथा कार के क्रय के लिए उससे पूर्व लिए गए, किन्तु प्रतिसंदत्त नहीं किए गए उधार, यदि कोई है, की बाबत बकाया अनिशेष, कुल मिलाकर 14000 रुपए या 14 मास के वेतन (1000 रुपए प्रतिमास से कम वेतन ले रहे आफिसर की दशा में 17 मास के वेतन) से अधिक नहीं होना चाहिए।

(ख) इस अग्रिम की मंजूरी की सीमाशुल्क की प्रतिभूति का दावा करने के लिए तर्क के रूप में दिया जाएगा और दावा सर्वथा सरकार द्वारा इस विषय पर जारी किए गए आदेशों से शासित होगा।

(ग) आफिसर को तब तक कार का विक्रय करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक अग्रिम का संदाय नहीं हो जाता।

(घ) मिशन के प्रधान और रक्षा मंत्रालय को यह प्रमाणित करना होगा कि विदेश में तैनाती के देश या देशों में सरकारी सेवक द्वारा कार रखना लोकहित में आवश्यक था और भारत में उसके कर्तव्यों के दक्ष निर्वहन के लिए भी आवश्यक होगा।

(ङ) अग्रिम की कोई रकम और ब्याज के परावेय रहने तक कार को पूर्णतः बीमाकृत रखा जाएगा, जिसमें व्यक्तियों द्वारा अलवा और सिविल अशांति की बाबत बीमा भी सम्मिलित है।

(च) भारत में सीमाशुल्क के संदाय के लिए अग्रिम को पृथक अग्रिम, माना जाएगा और उसे मोटरकार के क्रय के लिए पहले से मंजूरीकृत अग्रिम यदि कोई है, के साथ आमेलित नहीं किया जाएगा।

(छ) सीमाशुल्क के संदाय के लिए मंजूर किया गया अग्रिम अधिक से अधिक साठ किस्तों में वसूली होगा। सीमाशुल्क अग्रिम की वसूली को, मोटरकार के क्रय के लिए मंजूर किए गए पूर्वतर अग्रिम, यदि कोई हो, की बकाया वसूलियों से संबद्ध नहीं किया जाएगा। पूर्वतर अग्रिम की वसूलियों, इस अग्रिम की मंजूरी के पश्चात् भी, मंजूरी के निबंधनों के अनुसार की जाएंगी।

(ज) नियुक्त होने वाले आफिसर की दशा में सीमाशुल्क अग्रिम की वसूली, किस्तों की रकम बढ़ाकर इस प्रकार विनियमित की जाएगी कि सेवानिवृत्ति से पूर्व आफिसर द्वारा अंतिम वेतन लेने से पूर्व ही वह अग्रिम और उस पर ब्याज की पूर्ण वसूली हो जाए।

(झ) स्थायीकृत या अस्थायी आफिसर की दशा में, उधार मंजूर करने से पूर्व तुलनीय या उच्चतर प्रास्थिति के किसी स्थायी केन्द्रीय सरकारी सेवक से प्रतिभूतिभूति अभिप्राप्त की जानी चाहिए।

(ञ) उधार मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी भारत सरकार होगी। मोटरकार के क्रय के लिए अग्रिम की मंजूरी के लिए विहित अन्य शर्तें इस अग्रिम के मामले में आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगी।

(ट) ये आदेश ऐसे आफिसरों को लागू नहीं होंगे जो विदेश में नियमित पद धारण नहीं कर रहे हैं, अर्थात वे जिन्हें विदेश में अस्थायी कर्तव्य पर प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है। तथापि, संयुक्त राष्ट्र के संगठनों और उनके विभिन्न अभिकरणों में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए आफिसर उधार की मंजूरी के हकदार होंगे।

(ठ) उधार पर उसी दर से ब्याज लगेगा जो मोटकार के प्रयोजन के लिए उधार को लागू है।";

(57) विनियम 248 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"248 मंजूरी देने वाला प्राधिकारी—(1) वे आफिसर जिन्हें मोटर साइकिल क्रय करने के लिए उधार अनुज्ञेय है और वे प्राधिकारी जो उन्हें मंजूर करने के लिए सशक्त हैं, नीचे सारणी में दिए गए हैं :—

किसे अनुज्ञेय है	मंजूरी देने वाला प्राधिकारी
(क) नौसेना मुख्यालय में सेवा करने वाले (नौसेनाध्यक्ष से भिन्न) सभी नौसैनिक आफिसर।	नौसेनाध्यक्ष। यथास्थिति
(ख) नौसैनिक मुख्यालयों से बाहर नौसैनिक तटीय स्थापनों में सेवा करने वाले सभी नौसैनिक आफिसर।	(1) फ्लैग आफिसर कमांडिंग इन चीफ, पश्चिमी, नौसेना कमान, मुंबई। (2) फ्लैग आफिसर कमांडिंग-इन चीफ, पूर्वी नौसेना कमान, विशाखापत्तनम। (3) फ्लैग आफिसर, कमांडिंग दक्षिणी नौसेना क्षेत्र, कोचीन। यथास्थिति
(ग) जल पर की नियुक्तियों पर सेवा करने वाले नौसैनिक आफिसर	(1) फ्लैग आफिसर कमांडिंग इन चीफ, पश्चिमी नौसेना कमान, मुंबई। (2) फ्लैग आफिसर कमांडिंग इन चीफ, पूर्वी नौसेना कमान, विशाखापत्तनम। (3) फ्लैग आफिसर, कमांडिंग, दक्षिणी नौसेना क्षेत्र, कोचीन।

(घ) इंस्ट्रक्शनल स्टाफ एंड स्टुडेंट आफिसर रक्षा सेवा स्टाफ कालेज, वेलिंग्टन।	कमांडेंट, राष्ट्रीय रक्षा कालेज, नई दिल्ली।
(ङ) कर्मचारिवृन्द और विद्यार्थी आफिसर जिन्हें वेतन रक्षा प्राक्कलनों, राष्ट्रीय रक्षा कालेज, नई दिल्ली से दिया जाता है।	कमांडेंट, राष्ट्रीय रक्षा सेवा कालेज, नई दिल्ली।

(2) अग्रिम 3500 रुपए या दस मास के वेतन या मास्टर पाइलिट के पूर्वानुमानित मूल्य तक, जो भी सब से कम हो, सीमित होगा ";

(58) विनियम 253 में, विद्यमान खंड (क) से

(च) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

(क) भारसाधक नौसैना आफिसर	उसके अधीन सेवा कर रहे कार्मिकों की दशा में।
(ख) कमांडिंग आफिसर, तटीय स्थापन।	उसके अधीन सेवा कर रहे कार्मिकों की दशा में।
(ग) फ्लैग आफिसर कमांडिंग इन चीफ, पश्चिमी नौसेना कमान, मुंबई।	यथास्थिति अन्य सभी मामलों में।
(घ) फ्लैग आफिसर कमांडिंग इन चीफ, पूर्वी नौसेना कमान, विशाखापत्तनम।	यथास्थिति अन्य सभी मामलों में।
(ङ) फ्लैग आफिसर कमांडिंग, पश्चिम बेड़ा।	यथास्थिति अन्य सभी मामलों में।
(च) फ्लैग आफिसर कमांडिंग, पूर्वी बेड़ा।	यथास्थिति अन्य सभी मामलों में।
(ज) फ्लैग आफिसर कमांडिंग इन चीफ, दक्षिणी नौसेना कमान, कोचीन	यथास्थिति अन्य सभी मामलों में।

59. विनियम 257ख के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"257ख—महत्वपूर्ण उत्सवों के अवसर पर अग्रिम वेतन

(1) पात्रता—नियमित नियुक्ति में सेवा कर रहे नौसैनिकों, परिचरों (बॉयों) और शिक्षुओं को, जिनका वेतन 600/- रुपए प्रतिमाह से अधिक नहीं है, महत्वपूर्ण उत्सवों के अवसर पर निम्नलिखित निबन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुए अग्रिम वेतन मंजूर किया जा सकता है :—

(क) अग्रिम की रकम 200 रुपए या एक मास का वेतन (जिसमें नियुक्ति वेतन, सदाचरण वेतन और कार्यकारी भत्ता भी है), इनमें से जो भी कम हो, होगी।

(ख) अग्रिम संबद्ध उत्सवों से पूर्व लिया जाना चाहिए। यह केवल उन्हीं को अनुज्ञेय होगा, जो कर्तव्य पर हों और अग्रिम लेने के समय जिनके वैयक्तिक चालू खाता लेखा में कोई ऋणी अतिशेष न हो।

(ग) अग्रिम अधिक से अधिक दस बराबर मासिक किस्तों में वसूल किया जाएगा। पहली वसूली अगले मास के नियमित संदाय के प्रारंभ होगी। प्रत्येक किस्त की रकम निकटतम रुपए तक पूर्णांकित की जाएगी और अंतिशेष अंतिम किस्त में वसूल किया जाएगा।

(घ) अग्रिम, एक कैलेण्डर वर्ष में केवल एक बार अनुज्ञेय होगा। पोतों और स्थापनाओं के कमान आफिसर, उत्सव के स्थानीय महत्व पर विचार करने के पश्चात् ऐसे उत्सवों के अवसर नियत करेंगे जिन पर अग्रिम अनुज्ञात किया जाएगा।

(ङ) दूसरा उत्सव अग्रिम केवल तब ही मंजूर किया जाएगा जब किसी पूर्व अवसर पर मंजूर किया गया उत्सव अग्रिम पूर्णतः वसूल किया जा चुका हो।

(च) यदि कोई उत्सव, एक कैलेण्डर वर्ष में दो बार पड़ता है तो अग्रिम केवल एक अवसर पर अनुज्ञेय होगा।

(2) मंजूरी देने वाला प्राधिकारी—पोत/स्थापन का कमान आफिसर ऐसे अवसरों पर अग्रिम वेतन मंजूर करने के लिए प्राधिकृत है। वह ऐसे नौसैनिकों को, जो नियमित नियुक्ति पर सेवा नहीं कर रहे हैं पर जिन्होंने तीन वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली है तथा जिनका अग्रिम के समायोजन तक सेवा में बना रहना संभाव्य है, ऐसा अग्रिम अपने विवेकानुसार मंजूर कर सकता है।

स्पष्टीकरण—गणतंत्र दिवस और स्वतन्त्रता दिवस अग्रिम वेतन के प्रयोजन के लिए उत्सव के अवसर माने जा सकेंगे।";

(60) विनियम 266 में, विद्यमान सारणी के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"अवैतनिक सब-लेफ्टिनेंट	1000/- रुपए प्रतिमास
अवैतनिक लेफ्टिनेंट	1100/- रुपए प्रतिमास

(61) विनियम 269 में, अंक "720" के स्थान पर अंक "1440" रखे जाएंगे ;

(62) विनियम 272 के पश्चात् निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"समुद्री कर्तव्य भत्ता

273. अनुज्ञेयता और दरें—समुद्री कर्तव्य भत्ता जल पर सेवा कर रहे सभी अवैतनिक आयुक्त आफिसरों को, जिनमें अस्थायी कर्तव्य पर संलग्न आफिसर भी हैं उन अवधियों के दौरान अनुज्ञेय होगा जब उनके पोत बेस पत्तनों से यथार्थ में दूर हों।";

"उच्च स्थान/अस्वास्थ्यकर जलवायु भत्ता

274. अनुज्ञेयता और दरें—अवैतनिक आयुक्त आफिसर, विनियम 156क में यथा अधिकथित नौसैनिकों को लागू शर्तों के अधीन 90 रुपए प्रतिमास की दर से उच्च स्थान/अस्वास्थ्यकर जलवायु भत्ते के हकदार होंगे।";

(63) परिशिष्ट 2 और 3 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परिशिष्ट—2

सभी शाखाओं के साधारण सूची आफिसरों (जिसमें नौसेना विमानन और पनडुब्बी शाखाएं नहीं है) के लिए वेतन की दरें

(विनियम 4 देखिएं)

सेवा का वर्ष	कार्यकारी सबलेफ्टिनेंट रु. प्रतिमास	सबलेफ्टिनेंट रु. प्रतिमास	लेफ्टिनेंट रु. प्रतिमास	लेफ्टिनेंट कमाण्डर रु. प्रतिमास	कार्यकारी कमाण्डर रु. प्रतिमास	कमाण्डर रु. प्रतिमास
1.	750	—	—	—	—	—
2.		830	—	—	—	—
3.		870	—	—	—	—
4.			1100	—	—	—
5.			1150	—	—	—
6.			1200	—	—	—
7.			1250	—	—	—
8.			1300	—	—	—
9.			1350	—	—	—
10.			1400	1450	—	—
11.			1450	1500	—	—
12.				1550	1750	—
13.				1600	1750	—
14.				1650	1750	—
15.				1700	1750	—
16.				1700	1750	—
17.				1750	1800	1800
18.				1800	1850	1850
19.				1800	1900	1900
20.				1800	1950	1950
21.				1800	1950	1950
22.				1800	1950	1950
23.				1800	1950	1950
24.						

काल वेतनमान कमाण्डर	1900 रु. प्रतिमास	कार्यकारी या अधिष्ठायी
कप्तान	1950-75-2100-100-2400 रु.	
रियर एडमिरल	2500-125-2750 रु.	
वाइस एडमिरल	3000 रु. प्रतिमास	
नौसेना अध्यक्ष	4000 रु. प्रतिमास	

टिप्पण—1. कमोडोर के वेतन की दरें वे होंगी जितके लिए वे कप्तान के रूप में अपनी ज्येष्ठता के अनुसार हकदार हैं।

टिप्पण—2. ऐसे आफिसर जिन्हें कर्नल वेतनमान के अनुसार कमाण्डर की रैंक में अधिष्ठायी रूप में प्रोन्नति किया गया हो और जो प्रारम्भिक नियुक्तियों पर धृत नहीं है, 1900 रु. प्रतिमास नियत वेतन लेंगे तथापि ऐसे आफिसरों को जब कमाण्डर (चयनित) द्वारा कार्य रिक्तियों में स्थानापन्न रूप से, एक बार में छह मास से अनधिक अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है तो वे पश्चातवर्ती पद के लिए अनुज्ञेय वेतन लेंगे ।

टिप्पण—3. विमानन और पनडुब्बी शाखाओं के आफिसरों से भिन्न ऐसे आफिसरों को जिन्हें लेफ्टिनेंट कमाण्डर का उच्च वेतन वाला कार्यकला रैंक दिया गया हो, निम्नलिखित वेतन प्राप्त करेंगे:—

सेवा का 8वां वर्ष पूर्ण होने तक — 1350 रुपये

सेवा का 9वां वर्ष पूर्ण होने तक — 1400 रुपये

परिशिष्ट—3

नौसेना, विमानन और पनडुब्बी शाखाओं के साधारण सूची आफिसरों के वेतन की दरें

(विनियम 4 देखिये)

सेवा का वर्ष	कार्यकारी सब लेफ्टिनेंट रु. प्रतिमास	सब लेफ्टिनेंट रु० प्रतिमास	लेफ्टिनेंट रु० प्रतिमास	लेफ्टिनेंट कमाण्डर रु. प्रतिमास	कार्यकारी कमाण्डर रु. प्रतिमास	कमाण्डर रु. प्रतिमास
1.	825					
2.		910				
3.		950				
4.			1200			
5.			1250			
6.			1300			
7.			1350			
8.			1400	1450		
9.			1450	1500		
10.			1500	1550		
11.			1550	1600	1750	
12.				1650	1800	1800
13.				1700	1850	1850
14.				1700	1900	1900
15.				1750	1950	1950
16				1800	1950	1950
17.				1800	1950	1950
18.				1800	1950	1950
19.				1800		
20.				1800		
21.				1800		
22.				1800		
23.				1800		
24.				1800		

काल वेतनमान कमाण्डर	1900 रु. प्रतिमास	
कप्तान	1950-75-2100-100-2400 रुपये	कार्यकारी या अधिष्ठायी
रियर एडमिरल	2500-125-/2-2750 रु.	
वाइस एडमिरल	3000 रु. प्रतिमास	
नौसेना अध्यक्ष	4000 रु. प्रतिमास	

टिप्पण—1 कमोडोर के वेतन की दरें वे होंगी जिनके लिए वे कप्तान के रूप में अपनी ज्येष्ठता के अनुसार हकदार हैं।

टिप्पण—2 ऐसे अधिकारी जिन्हें काल वेतनमान के अनुसार कमाण्डर की रैंक में अधिष्ठायी रूप में प्रोन्नत किया गया हो और जो प्राधिकृत नियुक्तियों पर धृत नहीं हैं, 1800 रुपये प्रतिमास नियत वेतन लेंगे किन्तु ऐसे आफिसरों को जब कमाण्डर (चयनित) द्वारा रिक्तियों में स्थानापन्न रूप से, एक बार में छह मास से अनधिक अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है तो वे पश्चात्वर्ती पद के लिए अनुज्ञेय वेतन लेंगे।

टिप्पण—3 विमानन और पनडुब्बी शाखाओं के ऐसे आफिसरों को जिन्हें लेफ्टिनेंट कमाण्डर का उच्च वेतन वाला कार्यकारी रैंक दिया गया हो, निम्नलिखित वेतन प्राप्त करेंगे :—

सेवा का सातवां वर्ष पूर्ण होने पर—1400 रु. प्रतिमास" ;

(64) परिशिष्ट 4 का लोप किया जाएगा;

(65) परिशिष्ट 5, 6 और 7 का प्रतिस्थापन

परिशिष्ट 5, 6 और 7 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"परिशिष्ट 5

अधिष्ठायी रैंक के साधारण सूची (शाखा बाह्य सूची) आफिसरों के लिए वेतन की दरें

(विनियम 4 देखिए)

लेफ्टिनेंट कमांडर	रु. प्रतिमास
प्रोन्नति पर	1550
1 वर्ष की सेवा के पश्चात्	1600
2 वर्ष की सेवा के पश्चात्	1650
3 वर्ष की सेवा के पश्चात्	1700
4 वर्ष की सेवा के पश्चात्	1700
5 वर्ष की सेवा के पश्चात्	1750
6 वर्ष की सेवा के पश्चात	1800
7 वर्ष की सेवा के पश्चात्	1800
8 वर्ष की सेवा के पश्चात्	1800
9 वर्ष की सेवा के पश्चात्	1800
10 वर्ष की सेवा के पश्चात्	1800
11 वर्ष की सेवा के पश्चात्	1800
12 वर्ष की सेवा के पश्चात्	1800
कमाण्डर	
प्रोन्नति पर	1850
1 वर्ष की सेवा के पश्चात्	1900
2 वर्ष की सेवा के पश्चात्	1950
3 वर्ष की सेवा के पश्चात्	1950
4 वर्ष की सेवा के पश्चात्	1950
टिप्पण—कार्यकारी कमांडर 1800 रु. प्रतिमास के नियत वेतन का हकदार होगा ।	
कप्तान	कप्तान साधारण सूची की तरह

परिशिष्ट—6

विशेष कर्तव्य सूची आफिसरों (इसमें पनडुब्बी काडर के विशेष कर्तव्य सूची आफिसर भी हैं) के लिए वेतन की दरें

(विनियम 4 देखिए)

विशेष कर्तव्य सूची	रु. प्रतिमास
कार्यकारी सबलेफ्टिनेंट (विशेष कर्त्तव्य) (परिवीक्षाधीन)	750
कार्यकारी सबलेफ्टिनेंट [अस्थायी/सब लेफ्टिनेंट (विशेष कर्तव्य)]	830-40-950
लेफ्टिनेंट (विशेष कर्तव्य)	1100-50-1500
लेफ्टिनेंट कमान्डर (विशेष कर्तव्य)	1550-50-1700-50-1800
कमांडर (विशेष कर्तव्य)	1800-50-1950
विशेष कर्तव्य सूची—पनडुब्बी काडर	
कार्यकारी सबलेफ्टनेंट (विशेष कर्तव्य) (परिवीक्षाधीन)	825
कार्यकारी सबलेफ्टिनेंट (अस्थायी/सबलेफ्टिनेंट) (विशेष कर्तव्य)	910-40-1030
लेफ्टिनेंट (विशेष कर्तव्य)	1200-50-1550
लेफ्टिनेंट कमांडर (विशेष कर्तव्य)	1650-50-1700-50-1800
कमांडर (विशेष कर्तव्य)	1800-50-1950

परिशिष्ट—7

मिडशिपमेन मूल वेतन

(विनियम 4 देखिए)

मिडशिपमेन मूल वेतन .... 560 रु. प्रतिमास;
लेफ्टिनेंट (विशेष कर्तव्य)

66. परिशिष्ट 9 का प्रतिस्थापन—परिशिष्ट 9 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परिशिष्ट, 9 ,,

नौसैनिक के लिए वेतन की दर
(विनियम 125 देखिए)

ग्रुप "क"

शाखाएं : सभी परिशिल्पी और मैकेनिशियन

शिशु/परिशिल्पी	मैकेनिशियन	रु. प्रतिमास
शिशु पहला वर्ष		195
शिशु दूसरा वर्ष		200
शिशु तीसरा वर्ष		205
शिशु चौथा वर्ष		210
परिशिल्पी 5 वर्ग		240-6-246
कार्यकारी परिशिल्पी		300-8-308
परिशिल्पी 4 वर्ग	मैकेनिशियन 4 वर्ग	340-8-356
परिशिल्पी 3 वर्ग	मैकेनिशियन 3 वर्ग	391-10-441
परिशिल्पी 2 वर्ग	मैकेनिशियन 2 वर्ग	435-10-485
परिशिल्पी 1 वर्ग	मैकेनिशियन 1 वर्ग	500-10-550
मुख्य परिशिल्पी	मुख्य मैकेनिशियन	565-15-640
मास्टर मुख्य पैटी आफिसर-2		620-20-740
मास्टर मुख्य पैटी आफिसर-1		725-25-825

ग्रुप "ख" (गैर परिशिल्पी)

रैंक	रु. प्रतिमास
नौसैनिक प्रशिक्षणाधीन	215
नौसैनिक—2	230-6-42
नौसैनिक—1	240-6-312
मुख्य नौसैनिक	250-6-310-8-326
पैटी आफिसर	300-8-380
मुख्य पैटी आफिसर	385-15-475
मास्टर मुख्य पैटी आफिसर—2	470-20-600
मास्टर मुख्य पैटी आफिसर—1	600-25-700

टिप्पण:—निम्नलिखित में से कोई भी विशेषज्ञ अर्हता अर्जित कर लेने पर, चिकित्सा सहायकों को वेतन के प्रयोजनार्थ ग्रुप "ग" से नौसेना विमानन नौसैनिकों के तत्संबन्धी प्रवर्गों को अनुज्ञेय वेतन की दरों में शोधित कर लिया जाएगा ।

विशेषज्ञ अर्हता पाठ्यक्रमों के नाम	वर्ग
1. उन्नत परिचर्या	1 और 2
2. चिकित्सीय स्टोर	1 और 2
3. प्रयोगशाला सहायक और प्रयोगशाला तकनीकी	1 और 2
4. शल्य क्रियागृह तकनीकी	1 और 2
5. रेडियोग्राफी (एक्सरे) सहायक और/या तकनीकी	1 और 2
6. विशेष रोग	1 और 2
7. भौतिक चिकित्सा	1 और 2
8. स्वास्थ्य विज्ञान	1 और 2
9. मनोविकार विज्ञान परिचर्या	1 और 2
10. दंत शल्य क्रिया गृह सहायक	1 और 2
11. रक्तधान सहायक	1 और 2
12. औषध वितरक	1 और 2
13. दन्त तकनीकी और/या दंत स्वास्थ्य विज्ञानी	1 और 2 ।"

ग्रुप "ग" (गैर-परिशिल्पी)

रैंक	रु. प्रतिमास
नौसैनिक प्रशिक्षणाधीन	200
नौसैनिक–2	210-5-280
नौसैनिक–1	220-5-280
मुख्य नौसैनिक	235-6-295-8-311
पैटी आफिसर	300-8-380
मुख्य पैटी आफिसर	385-15-475
मास्टर मुख्य पैटी आफिसर–2	480-20-600
मास्टर मुख्य पैटी आफिसर–1	600-25-700

नौसेना विमानन नौसैनिक

रैंक	रु. प्रतिमास
नौसैनिक प्रशिक्षणाधीन	245
नौसैनिक 2	255-6-267
नौसैनिक 1	285-7-369
मुख्य नौसैनिक	310-7-380-8-396
पैटी आफिसर	360-8-440
मुख्य पैटी आफिसर	455-15-545
मास्टर मुख्य पैटी आफिसर 2	550-20-670
मास्टर मुख्य पैट आफिसर 1	650-25-750

टिप्पण: वायुयान यांत्रिक पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए चयनित वायुयान यांत्रिक वर्ग 4 में प्रोन्नति किए गए पैटी आफिसर एयर फिटर/पैटी आफिसर एयर आयुध फिटर, वायुयान यांत्रिक के रूप में वेतन के स्तर पर पहुंचने तक विद्यमान वेतनमान में ही वेतन प्राप्त करता रहेगा।

पनडुब्बी अंग के गैर परिशिल्पी नौसैनिक

रैंक	रु प्रतिमास
नाविक प्रशिक्षणाधीन	245
नाविक 2	255-6-267
नाविक 1	285-7-369
मुख्य नाविक	310-7-380-8-396
पैटी आफिसर	360-8-440
मुख्य पैटी आफिसर	455-15-545
मास्टर मुख्य पैटी आफिसर 2	550-20-670
मास्टर मुख्य पैटी आफिसर 1	650-25-750

टिप्पण:—पनडुब्बी अंग के परिशिल्पी/मैकेनिशियन नौसैनिक वेतन की ग्रुप "क" दरें लेंगे।

परिचर (बॉय)

	रु. प्रतिमास
अभ्यावेशन पर,	55.00
प्रारंभिक प्रशिक्षण पूर्ण होने पर	58.00
समप्रगामी परिचर	80.00

साधारण टिप्पण—ऊपर उपदर्शित वेतनमान के अतिरिक्त, विद्यमान दरों पर और विद्यमान शर्तों पर "सदाचरण बैंज वेतन भी अनुज्ञेय होगा";

(67) परिशिष्ट II-ग में-(i) शीर्षक के नीचे

"[विनियम 239(4) और 243 देखिए)]" कोष्ठकों, शब्दों और अंकों के स्थान पर [विनियम 239(4), 243 और 246 देखिए]" कोष्ठक, शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ii) अंत में निम्नलिखित टिप्पण जोड़ा जाएगा, अर्थात :—

"टिप्पण—सीमाशुल्क के संदाय के लिए मंजूर किए गए अग्रिम पर क्योंकि कोई ब्याज प्रभार्य नहीं है अतः करार प्ररूप में प्रयुक्त ब्याज पद इस उधार को लागू नहीं होगा।";

68. "परिशिष्ट II-घ" के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:—

"परिशिष्ट II-घ

पृथक पूर्वतर अग्रिम से क्रय की गई मोटर गाड़ी पर सीमाशुल्क के संदाय के लिए अग्रिम के लिए बंधपत्र का प्ररूप (विनियम 246 देखिए)

एक पक्षकार के रूप में श्री----------जो ----------का पुत्र है (जिसे इसमें आगे "उधार लेने वाला" कहा गया है और इसके अन्तर्गत, उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती भी है जब तक कि ऐसा विषय या सन्दर्भ से अपवर्जित या उसके विरुद्ध नहीं है) और दूसरे पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें आगे "सरकार" कहा गया है और इसके अन्तर्गत, उनके उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी हैं जब तक कि ऐसा विषय या संदर्भ से अपवर्जित या उसके विरुद्ध नहीं है) के बीच आज तारीख ---------- को किया गया अतिरिक्त भार का विलेख।

उधार लेने वाले ने तारीख ---------- के बंधक विलेख (जिसे इसमें आगे "मूल विलेख" कहा गया है) द्वारा उसकी अनुसूची में उल्लिखित मोटरगाड़ी खरीदने के लिए ----------रु. के अग्रिम को और विलेख में दी गई दर से ब्याज को प्रतिभूत करने के लिए विलेख में दी गई शर्तों पर मोटरगाड़ी सरकार को आडमान रख दी है।

उधार लेने वाले को सरकार द्वारा अग्रिम दिए गए----------रुपए की उक्त रकम में से, मूल विलेख के निबन्धनों के अनुसार मूलधन मद्दे ----------रुपए की रकम अभी भी सरकार को शोध्य है और संदेय है।

उधार लेने वाले को उक्त मोटर गाड़ी भारत में लाने के समय उस पर संदेय सीमाशुल्क के संदाय मद्दे, नौसेना (वेतन और भत्ते) विनियम, 1966 (जिसे इसमें आगे "उक्त विनियम" कहा गया है) के विनियम 246 तक के निबंधनों पर---------- रु. के अतिरिक्त अग्रिम की आवश्यकता है।

उधार लेने वाले ने सरकार को आवेदन किया है कि उसे----------रु. और अग्रिम दिए जाएं तथा सरकार ने उसी प्रतिभूति पर और इसमें आगे उल्लिखित निबंधनों पर उसे उतनी रकम उधार देना स्वीकार कर लिया है;

उधार लेने वाले ने इस प्रकार अग्रिम दी गई रकम से या उसके भाग से उक्त मोटरगाड़ी की बाबत सीमाशुल्क का संदाय कर दिया है;

यह विलेख निम्नलिखित का साक्षी है:—

1. उक्त करार के अनुसरण में और उधार लेने वाले को अग्रिम दी गई ----------रु. (शब्दों में और अंकों में) की प्रतिदेय रकम के जिसकी प्राप्ति उधार लेने वाला इसके द्वारा प्रतिस्वीकार करता है) प्रतिफलस्वरूप, उधार लेने वाला इसके द्वारा सरकार के साथ यह करार करता है कि वह सरकार को ---------- रु. की रकम या उसका शेष भाग जिसका संदाय इस विलेख की तारीख तक न किया गया हो इस में दी गई रीति से किस्तों में लौटाएगा।

2. उधार लेने वाला सरकार को देय उक्त रकम ---------- रु. की समान संदायों द्वारा प्रत्येक मास के प्रथम दिन लौटाएगा और उस समय तक देगा जब तक कि इसके द्वारा प्रतिभूत मूलधन या इस प्रतिभूति पर शोध्य उसके किसी भाग का संदाय शेष रहता है और उधार लेने वाला यह करार करता है कि ऐसे संदाय उक्त विनियम द्वारा उपबंधित रीति में उसके वेतन से मासिक कटौती करके वसूल की जा सकेंगी अथवा यदि वह बारह मास से अधिक की अवधि के लिए भारत से बाहर प्रतिनियुक्त हो कर चला जाता है या भारत से बाहर किसी पद पर उसका स्थानांतरण हो जाता है और ऐसा होने पर सक्षम प्राधिकारी ने अग्रिम की शेष रकम और/या पूर्वोक्त ब्याज भारत में रुपए में लौटाने की इजाजत दे दी है तो उधार लेने वाला करार करता है कि वह सरकार को ऐसी बकाया रकम का संदाय जिसे नियंत्रक, रक्षा लेखा (नौसेना) के पक्ष में लिखे गए बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्रत्येक मास की पंद्रह तारीख तक धन भेज कर करेगा।

3. इसके द्वारा यह करार किया जाता है और घोषणा की जाती है कि यदि मूलधन की उक्त किस्तों में से कोई किस्त देय हो जाने के पश्चात् दस दिन के भीतर पूर्वोक्त रीति से नहीं दे दी जाती है या वसूल नहीं कर ली जाती है या यदि उधार लेने वाले की मृत्यु हो जाती है या वह सरकारी सेवा में नहीं रहता है या यदि उधार लेने वाला उक्त मोटर गाड़ी को बेच देता है या गिरवी रख देता है या उसमें अपने स्वत्व को छोड़ देता है या वह दिवालिया हो जाता है या अपने लेनदारों के साथ कोई समझौता या ठहराव कर लेता है या यदि कोई व्यक्ति उधार लेने वाले के खिलाफ किसी डिक्री या निर्णय के निष्पादन में कार्यवाही आरंभ कर देता है तो उक्त मूलधन की पूरी रकम जो उस समय इस विलेख और मूल विलेख के अधीन देय हो किन्तु उसका संदाय न किया गया हो, तुरन्त संदेय हो जाएगा।

4. उक्त करार और पूर्वोक्त प्रतिफल के अनुसरण में, उधार लेने वाला यह घोषणा करता है कि वह मोटरगाड़ी जिसका उल्लेख अनुसूची में (मूल विलेख की और इसकी अनुसूची में भी किया गया है) सरकार को ---------- रुपए की उक्त राशि या इस विलेख की तारीख को शेष रकम जो उक्त मूल विलेख के अधीन प्रतिभूत है तथा इसमें इसके पूर्व दी गई शर्तों के अनुसार---------- रु. की उक्त राशि के लिए प्रतिभूति होगी और वे उस पर भार होंगे तथा उसका मोचन तब तक नहीं होगा या हो सकेगा जब तक कि इस विलेख और मूल विलेख के अधीन प्रतिभूत धन का संदाय नहीं किया जाता है।

5. यह भी करार किया जाता है कि पूर्वोक्त मूल विलेख में उसके द्वारा प्रतिभूत धन के संबंध में अंतर्विष्ट और विवक्षित सभी शक्तियां उपबन्ध और शर्तें मूल धन के लिए उसी रीति से पूर्णरूप से लागू की जाएंगी और प्रभावी होंगी मानो वे इससे उल्लिखित हों और उन पर विनिर्दिष्ट रूप से लागू की गई हों तथा मानों उक्त राशि मूल विलेख द्वारा प्रतिभूत अग्रिम का भाग हो।

अनुसूची

मोटर गाड़ी का वर्णन

गाड़ी का नाम

सिलिंडरों की संख्या

इंजन संख्या

लागत मूल्य

इसके साक्ष्यस्वरूप .... और .... में राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से इस पर ऊपर लिखित तारीख को अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

उक्त (उधार लेने वाले का नाम और पदनाम)
में

(1) --
--(साक्षी के हस्ताक्षर)

(2) --
--(साक्षी के हस्ताक्षर)

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से

(उधार लेने वाले के हस्ताक्षर और पदनाम)
-- (अधिकारी का नाम और पदनाम)

में

(1) --
--(साक्षी के हस्ताक्षर)

(2) --
--(साक्षी के हस्ताक्षर) की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

(अधिकारी के हस्ताक्षर)

पदनाम--------------------------

कार्यालय--------------------------

टिप्पण:-- मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 4 तारीख 05 जनवरी, 1966 -------------------- सरकारी अधिसूचना, रक्षा मंत्रालय सं.का.नि.आ. 1(अ) तारीख 05 जनवरी, 1966 द्वारा प्रकाशित किए गए थे। तत्पश्चात उनमें निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया --

(1) भारत के राजपत्र भाग-II, खण्ड 4, के पृष्ठ 1 से 124 पर प्रकाशित सरकारी अधिसूचना सं.का.नि.आ. 9-अ तारीख 19 मार्च, 1974.

धीरेन्द्र सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 23rd October, 1986

SRO 19(E).—In exercise of powers conferred by section 184 of the Navy Act, 1957 (62 of 1957), the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the Navy (Pay and Allowances) Regulations, 1966, namely :—

Short title and commencement.—1. These regulations may be called the Navy (Pay and Allowances) Amendment Regulations 1984.

2. In the Navy (Pay and Allowances) Regulations, 1966, (1) in regulation 4, for the existing table the following shall be substituted, namely :—

"TABLE

Categories of officers	Appendix
1	2
(a) General List Officers of all Branches (excluding Naval Aviation and Submarine Branches) upto Commander (Substantive Rank)	Appendix II
(b) General List Officers of Naval Aviation and Submarine Branches upto Commander (Substantive Rank.	Appendix III
(c) Blank	Appendix IV
(d) General List Officers (Ex-Branch List) Substantive Rank	Appendix V
(e) Special Duties List Officers (including special duties list officers of Submarine Cadre)	Appendix VI
(f) Midshipmen	Appendix VII

(2) in regulation 15,

(i) in sub-regulation (1), the figure, brackets and letter "IV(i)" shall be deleted ;

(ii) in sub-regulation (2), for the word, figure, brackets and letters, "Appendix IV(ii)" the words and figures, "Appendices II and III" shall be substituted ;

(iii) in sub-regulation (4) for the words and figures "Appendices III and IV" the word and figure "Appendix III" shall be substituted ;

(3) In regulation 19, for sub-regulation (2), the following shall be substituted, namely :—

"(2) An increment of pay shall be given effect to from the first of the month in which it falls due whether the officer is on duty or on leave (including leave pending retirement)" ;

(4) after regulation 21, the following shall be inserted, namely :—

"21A. Officers reported prisoners of War.—(1) Officers will be entitled to receive full pay and allowances appropriate to their rank (including paid acting rank), subject to adjustment in respect of the pay they receive from the enemy while in captivity. Separation allowance if in issue prior to capture will also continue, but high altitude|uncongenial climate allowance will not be paid.

(2) The pay and allowances, admissible as above, shall remain credited to the individual pay accounts of officers, maintained by the Naval Pay Office. From the amounts at the credit of officers, monthly allotment will be remitted, as in sub-regulation (3), at State expense by the Supply Officer-in-Charge, Naval Pay Office.

(3) Family allotments made by officers will continue to be payable for the period for which pay is admissible. If no family allotment was in issue, fresh allotments of 45% of pay and allowances may be made to the family." ;

(5) in regulation 23, in sub regulation (2), for clause (c) the following shall be substituted, namely :—

"(c) the officers do not avail themselves of the messing and other facilities in the ship while staying ashore except drawing free rations in kind or money in lieu thereof." ;

(6) for regulation 25, the following shall be substituted, namely :—

"25. Admissibility during leave and temporary duty.—The allowance shall continue to be admissible during periods of absence on leave and temporary duty at the same rate at which it was drawn prior to proceeding on leave|temporary duty subject to the following, namely :—

(a) During leave (other than leave pending retirement),

(i) four months at a time in the case of officers on annual leave, or annual leave combined with furlough, or on furlough not combined with annual leave, if any;

(ii) four months at a time in the case of officers on sick leave, inclusive of the period of annual leave, if any, provided for in sub-clause (i) above.

Explanation I :—The limit of four months laid down in Clause (ii) above shall be extended to eight months in the case of an officer suffering from Tuberculosis|Cancer and other prolonged ailments subject to the conditions laid down in these regulations in all other respects. The grant of the allowance to an officer suffering from Tuberculosis|Cancer and other prolonged ailments during leave exceeding eight months shall be decided on merits by Government in each case.

Explanation II :—The payment of allowances during the period of leave in excess of first

four months shall also be subject to furnishing of the following certificate :—

He or his family or both continued for the period for which compensatory (city) allowance is claimed to reside at the same station (whether within its qualifying limits or in an adjoining area) from where he proceeded on leave.

(b) During temporary duty not exceeding three months.

(c) During first three months of leave if combined with temporary duty.

Explanation :—For the purpose of the above regulation the "family" means the officer's wife|husband, children and other persons residing with and wholly dependent upon him|her. A husband|wife|child|parents having an independent source of income is not treated as a member belonging to the family of the officer except when he is in receipt only of a gross pension (including temporary increase in pension and pension equivalent of death-cum-retirement gratuity or other retirement benefits) not exceeding Rs. 100 per month.";

(7) regulation 38 to 42 shall be deleted;

(8) for regulation 44 and 45, the folowing shall be substituted, namely :—

"44. When the family of an officer proceeding Ex-India moves to a selected place of residence in India.—In the case of married officers whose families do not accompany them to their places of duty abroad, and in the case of single officers, the disturbance allowance will be admissible at the same rate at which they would have got transfer grant on their transfer within India.

No exchange compensation allowance will be admissible on the above rate of disturbance allowance." ;

'45. When officer dies abroad.—In cases of an officer, who while living with his family, dies abroad and the family returns to India at Government expense, disturbance allowance at the rates laid down in regulation 43 above will be paid to the family of the deceased officer." ;

(9) in regulation 48-A,

(i) for the heading "Divers retaining Fee" the heading "Diving Allowance|Retaining Fee" shall be substituted.

(ii) for the words "and Deep Divers" the words, "Deep Divers" and "Clearance Divers", shall be substituted.

(iii) for items (i) and (ii) the following shall be substituted, namely :—

"(i) Clearance Diving Officers	Rs. 150 p.m.
(ii) Deep Diving Officers	Rs. 150 p.m.
(iii) Ship Diving Officers	Rs. 75 p.m."

(10) in regulation 49 for Table the following shall be substituted, namely :—

"TABLE

Rank	Nature of appointment	Rate of Allowance
1	2	3
	(a) Afloat	
(i) Rear A miral	Flag Officer Commanding Indian Fleet	Rs. 350
(ii) Captain	In Independent Command of a ship in commission	Rs. 200
(iii) Commander, Lieutenant Commander, Lieutenant	In independent Command of a ship in commission	Rs. 100
	(b) Others	
(i) Vice Admiral	Flag Officer Commanding-in-Chief	Rs. 300
(ii) Rear Admiral	Flag Officer Commanding Western Fleet	Rs. 300
(iii) Rear Admiral	Flag Officer Commanding Eastern Fleet	Rs. 200
(iv) Rear Admiral	Flag Officer Commanding-in-Chief/ Flag Officer Commanding Naval Area	Rs. 200
(v) Commodore	Commodore Commanding/ Incharge Naval Area	Rs. 100",

(11) for regulation 51, the following shall be substituted, namely :—

"51 Admissibility during absence on leave, sick list concession or temporary duty.—It will be admissible to the permanent incumbent of the appointment entitled to entertainment allowance during leave, sick list concession or temporary duty and will be stopped from the date he is struck off the qualifying appointment." ;

(12) in regulation 56, in sub-regulation (1), for the letters and figure "Rs. 100" the letters and figure "Rs. 250" shall be substituted;

(13) in regulation 59, for the existing table the following shall be substituted, namely :—

"TABLE

Rank	Monthly Rates	
	Full rates	Half rates
(i) Cadet/Midshipmen/Acting Sub Lieutenant/Sub Lieutenant	Rs. 35/-	Rs. 17.50
(ii) Lieutenant and above	Rs. 45/-	Rs. 22.50"

(14) In regulation 60,—

(i) In sub-regulation (1), in clause (e), after KURUSURA, the following shall be inserted, namely :—

"NISTAR, VELA, VAGIR, VAGLI and VAGHSHEER".

Explanation :—Hardlying Money at full rates to officers and sailors of NISTAR, VELA, VAGIR, VAGLI and VAGHSHEER shall be admissible from the date of their commissioning.

(ii) In sub-regulation (1), the following new clause shall be inserted, namely :—

"(f) Missile Boats.—Hardlying Money shall also be payable to officers serving on board the following missile boats at the full rates, namely :—

VINASH, NIRCHAT, VIDYUT, NIRBHIK, VIJETA, NASHAK, VEER, NIPAT, PRATAP, PRALAYA, PRABAL, PRACHAND, CHAPAL, CHAMAK, CHARAG, CHATAK.

Explanation :—Hardlying Money to officers and sailors of these boats shall be admissible from the date of their Commissioning."

(iii) In sub-regulation (2), for the portion beginning with the words "Minesweepers.—and ending with the word "KATCHALL", the following shall be substituted, namely :—

"(a) Minesweepers :—

Ocean or Fleet Minesweepers.

(b) The following ships of Indian Navy :—

"GODAVARI, KUTHAR, KIRPAN, TRISHUL, TALWAR, BRAHMAPUTRA, BEAS, BETWA, KRISHNA, KAVERI, SHAKTI, MAGAR, GHARIAL, GOLDAR, JAMUNA, INVESTIGATOR, KAMORTA, KADMATT, KILTAN, KAVARATTI, KATCHALL, ARNALA, ANDROTH, ANJADIP, ANDAMAN, AMINI, GAJ, GHORPAD, KESARI, SHARLDUL, and SHARABH, RAJPUT, RANJIT and RANG";

(15) After regulation 60, the following sub-heading and regulation 61 shall be inserted, namely :—

"High Altitude Uncongenial Climate Allowance

61. Admissibility and Rates :—High altitude uncongenial climate allowance at the following rates shall be admissible to the officers of the Indian Navy serving in the areas defined by the Government from time to time subject to the same conditions as laid down for sailors in sub-regulation (2) of regulation 156A.

	Rs. p.m.
Acting Sub Lieutenant/Sub Lieutenant	100/-
Lieutenant	125/-
Lieutenant Commander	175/-
Commander and above	200/-";

(16) in regulation 70, for the letters and figures "Rs. 1400" wherever they occur, the letters and figures "Rs. 2400" shall be substituted ;

(17) in regulation 71, for the letters and figures "Rs. 1200", the letters and figures "Rs. 2100" shall be substituted ;

(18) in regulation 76,

(i) for the heading the following shall be substituted, namely :—

"Officers on deputation to civil posts in Central/State Governments" ;

(ii) in sub-regulation (1), for the words "Officers in civil employ", the following shall be substituted, namely :—

"Officers on deputation to civil posts in Central/State Governments, except in the case of officers deputed to Intelligence Bureau, Ministry of Home Affairs, who have to wear Service Uniform frequently, though not all the time." ;

(19) in regulation 95, in sub-regulation (2), in clause (d) for the letters and figures "Rs. 1800" the letters and figures "Rs. 2000" shall be substituted ;

(20) for sub heading "Flying Bounty" and regulation 98, the following shall be substituted, namely :—

"Flying Pay"

"98. Admissibility.—Officers of the Aviation Branch who have specialised as Pilots (P) and Observers (O) and fall within authorised Cadres of Pilots and Observers shall, in addition to their normal pay and allowances, receive a flying pay at the rates given in regulation 100. This will be treated as pay for all purposes, except for pension and gratuity. The flying pay shall be admitted on rendition of a certificate to the Supply Officer-in-Charge, Naval pay Office, Bombay as given below :—

Note 1.—Officers in receipt of flying pay in terms of regulation 54 for the period of training shall continue to be governed by those provisions.

Note 2.—Flying pay will be admissible for the period of annual leave portion of the leave pending retirement. Rendition of the certificate as required above will not be necessary for the drawal of flying pay during annual leave portion of leave pending retirement.

FLYING PAY CERTIFICATE

(To be rendered at the end of quarters ending 31 March, 30 June, 30 September and 31 December) Certified that (Rank)..... .....(Name)..... (Personal No.)..... Branch.....

(a) *has made adequate use of flying facilities provided to him and has maintained an acceptable level of proficiency ;

or

*did not have any facilities or opportunity to fly, but is capable of flying on return to flying duties ;

(b) has complied with the requirements prescribed in regulation 101 ;

(c) has obtained additional life insurance coverage against all risks, including flying, through the Group Insurance (Naval) Scheme for the minimum amount of Rs. 2 lakhs.

(d) has not been declared permanently medically unfit for flying duties.

Commanding Officer|Superior Officer.

*Delete whatever is not applicable." ;

(21) regulation 99 shall be deleted.

(22) for regulation 100 the following shall be substituted, namely ;

"100. Rates.—(1) The rates of Flying Pay admissible to officers are as given below :—

Commander and below	Rs. 750.00 p.m.
Captain	Rs. 666.00 p.m.
Rear Admiral and above	Rs. 600.00 p.m."

(2) Admissibility and its conditions.—Flying pay at the above rates will be admissible subject to an additional life insurance cover against all risks for a minimum amount of Rupees Two Lakhs being taken by the concerned officer through Group Insurance (Naval) Scheme, Survival benefits to the officer under the above Insurance Scheme as admissible will also be payable on retirement| release.

(23) (i) in regulation 101, in sub-regulation (1), for the words "Flying bounty" wherever they occur, the words "flying pay" shall be substituted ;

(ii) the following shall be added after sub-regulation (1), namely :—

"Note—The sum assured under the Group Insurance scheme and the contribution made thereunder will also reckon towards the minimum prescribed insurance of Rs. 25000 and the average monthly premium of Rs. 150 for the purpose of grant of enhanced rates of Flying Pay." ;

(24) regulation 102 to 104 shall be deleted.

(25) (i) in regulation 105A, for the table below sub regulation (1), the following shall be substituted, namely :—

'TABLE

Rank	Amount per month
Captain Commander Lieutenant Commander Lieutenant Sub Lieutenant	Rs. 550/-"

(ii) after sub-regulation (4), the following new sub regulation shall be inserted, namely :—

"(5) Submarine pay at the above rate will be admissible subject to an additional life insurance cover against all risks for a minimum amount of Rupees Two Lakhs being taken by the concerned officer through Group Insurance (Naval) Scheme. Survival benefits to the officers under the above insurance scheme as admissible will be payable on retirement|release";

(26) in regulation 111, for clause (c), the following shall be substituted, namely :—

"(c) Financial assistance at Rs. 55 per mensem only in the case of cadets whose parents or guardians have an income of less than Rs. 450 per mensem ;

Note :—In case where the parents draw income from Central|State Governments. no financial assistance shall be admissible ;" ;

(27) after regulation 111, the following sub-heading and regulations shall be inserted, namely :—

"CHILDREN EDUCATION ALLOWANCE

111A.—Eligibility.—Officers who have rendered not less than one year's service and whose pay does not exceed Rs. 1200 p.m. will receive the Children Education Allowance at the rates and under the conditions prescribed in the succeeding regulations 111B and 111C.

Note—Pay for this purpose will be as defined in regulation 35.

111B. Rates.—The allowance will be admissible at the following rates :—

(a) Primary Classes :
(Class I to V) ..... Rs. 15 p.m. per child

(b) Secondary and Higher Secondary Classes :
(From Class VI upto the stage entry into three year's degree course) ..... Rs. 20 p.m. per child.

The total allowance admissible to an officer at any one time shall not exceed Rs. 60 p.m.

NOTE : Primary classes do not include kindergarten and infant classes.

111C. Conditions.—The allowance will be admissible only in those cases where an individual is compelled to send his child or children to a school away from the station at which he is posted and|or is residing, owing to any of the following :—

(i) The absence of a school or schools of the requisite standard at that station.

Explanation I.—An Indian school shall be held to be a school not of "requisite standard" for Anglo-Indian children and vice-versa. Similarly, if a child is prevented by the tenets of his religious persuasion, from attending a school run by a body of another persuasion, such school shall be held to be a school not of the "requisite standard". Also if the teaching in a school is conducted in a language different from the language of the officer, the school shall be held to be a school not of the requisite standard.

Explanation II.—If an officer is transferred from a station where there is no school of the requisite standard, to a station where there is such a school and if he was in receipt of the allowance at the former station in respect of any child or children, he shall remain eligible for such allowance until the close of the academic year of the school in which his child or children was|were studying at time of his transfer, provided he|they continues|continue to study for that period in that school.

Explanation III.—If a child of an officer is denied admission to a school of the "requisite standard" at the station at which he is posted and or residing, because of there being no vacancy, or for any other reason and the child is, therefore, compelled to attend the school away from his place of duty and|or residence, he shall be entitled to the allowance, as if there were no schools of the requisite standard at that station.

Explanation IV.—At a station where there is no school of the requisite standard, the allowance will not be admissible if the nearest school is so situated that there is a convenient train or bus service to take the child or children near the time of opening of the school and bring them back not too long after the school is closed and the journey each way does not take more than an hour, where these conditions are not fulfilled, the allowance will be admissible irrespective of distance of the school from station at which the officer is posted and|or residing.

(ii) Posting to a field station.

(iii) Posting to a sensitive area where families are specifically debarred from living with the head of the family.

111D.—Where the allowance is claimed, the officer commanding of the unit|formation, will furnish the following certificate(s) to accompany the claims:—

(a) Non-availability of a school of the requisite standard at the place of posting, or availability of school of requisite standard at a station of posting, but denial of admission therein on the basis of information obtained from the educational authorities.

OR

(b) Location of the unit in a field|sensitive area where families are specifically debarred from living with the head of the family.";

(28) For regulation 129, the following shall be substituted, namely:—

"The annual increments will be allowed from the first of the month in which they fall due.";

(29) after regulation 131, the following regulation shall be inserted, namely:—

"131A Fixation of pay on promotion :—(1) When a sailor is promoted to the next higher rank, a notional amount equal to one increment in the lower rank shall be added to the pay actually drawn by the individual on the date of his promotion and promotion and thereafter his pay fixed in higher the scale for the higher rank at the next higher stage

(2) The notional pay in respect of sailors stagnating at the maximum of the lower scale shall be arrived at by increasing the pay by an amount equal to the last increment in the lower scale before pay is fixed in the higher scale at the stage next above the notional pay under sub-regulation (1) above.

(3) On promotion to the rank, Master Chief Petty Officer II Class, 'Good Conduct Badge Pay' shall also be added to the basic pay drawn as Chief Petty Officer and thereafter the pay fixed as in sub-regulations above.";

(30) after regulation 132, the following shall be inserted, namely :—

"132A. Admissibility of pay and allowances to sailors reported prisoners of war.

(a) Sailors reported prisoners of war.—Sailors (including these holding honorary commission ranks) taken prisoners of war will be entitled to normal pay and allowances, subject to adjustment in respect of pay they receive from the enemy while in captivity. The pay and allowances of a sailor (including those holding honorary commission ranks) as prisoner of war shall be forfeited if he is dismissed|discharged from service or awarded any other punishment in consequence of his conduct resulting in his capture by the enemy or his conduct while in enemy hands as a prisoner of war. Such dismisal|discharge|punishment may be as a result of trial by Naval tribunal, or administratively under the provision of the Regulations for the Navy part III on the basis of Court of Enquiry proceedings or other investigations.

Explanation.—The term 'Pay and Allowances' referred to above will include the special compensatory allowance. If the high altitude|uncongenial climate allowance was in issue prior to capture, this will be discontinued and a special compensatory allowance at the rates given in table below will be admissible:—

TABLE

Rate of sailor	Amount per mensem Rs.
Honorary Commissioned Officer	34
MCPO I & II	29
CPOs/POs	22
LS	19
SEA/ I/SEA OO '1	17

(b) Family allotments.—Family allotments if already in issue prior to capture will continue. Where allotments are not being paid fresh allotments may be issued upto 60% of the sailor's net emoluments provided,

(i) he was maintaining the allottee(s) ;

(ii) allottees is|are in need of financial assistance and

(iii) sanction of the Commanding Officer of the ship|establishment concerned has been obtained.":

(31) for regulation 134-A and 134-B, the following shall be substituted, namely :—

"134A. Eligbility.—(1) All sailors '(including those holding honorary ranks as commissioned officers), who have put in not less than one year's service and whose pay does not exceed Rs. 1200 p.m. will receive the Children Education Allowance at the rates and under the conditions given in the succeeding regulations.

(2) All service rendered under the Central Government in any Department or Office may be taken into account for the purpose of reckening one year's service for the eligibility to the Children Education Allowance.

(3) Service rendered prior to their retirement or discharge from Armed Forces|Central Government service will count for computing qualifying period of one year's service for the grant of the above allowance in the case of re-employed military|Civil pensioners provided their re-employed service is continuous tc their former service and the retirement or discharge was not on disciplinary grounds or at their own request.

(4) Pay for this purpose will be as defined in regulation 146;

134B. RATES.—The allowance will be admissible at the following rates :

(a) Primary Classes. (Class I to V) .....Rs. 15|-p. m. per child.

(b) Secondary & Higher Secondary Classes (from Class VI upto the stage entry into three year's degree course).....Rs. 20|-p. m. per child.

The total allowance admissible to a Service personnel at any one time shall not exceed Rs. 60|- p.m.

NOTE :—Primary classes do not include kindergarten and infant classes";

(32) after regulation 134-C, the following shall be inserted, namely:—

"134D. (1) From 1-11-73 Children Education Allowance will be admissible only in those cases where an individual is compelled to send his child or children to a school away from the station at which he is posted and|or is residing, owing to any of the following :—

(a) The absence of a school or schools of the requisite standard at that station.

Explanation No. I.—An Indian School shall be held to be a school not of 'Requisite Standard' for Anglo-Indian Children and vice-versa. Similarly, if a child prevented by the tenets of his religious persuasion, from attending a school run by a body of another persuasion, such school shall be held to be a school not of the requisite standard. Also, if the teaching in a school is conducted in a language different from the language of the service personnel, the school shall be held to be school not of the requisite standard.

Explanation No. II.—If a serviceman is transferred from a station where there is no school of the requisite standard to a station where there is such a school and if he was in receipt of the allowance at the former station in respect of any child or children, he shall remain eligile for such allowance until the close of the academic year of the school in which his child or children, was|were studying at the time of his transfer, provided he|they continues|continue to study for that period in that school.

Explanation No. III.—If a child of a serviceman is denied admission to a school of the "requisite standard" at the station at which he is and|or is residing, because of there being no vacancy, or for any other reason and the child is, therefore, compelled to attend the school away from his lace of duty and|or residence, he shall be entitled to the allowance, as if there were no school of the requisite standard at that station.

Explanation No. IV.—At a station where there is no school of the requisite standard, the allowance will not be admissible if the nearest school is so situated that there is convenient train or bus service to take the child or children near the time of the opening of the school and bring them back not too long after the school is closed and the journey each way does not take more than an hour. Where these conditions are not fulfilled, the allowance will be admissible Irrespective of distance of a school from the

station at which the serviceman is posted and|or is residing.

(b) Posting to a field area

(c) Posting to a sensitive area where families are specifically debarred from living with the head of the family.

(d) Non-availability of married accommodation for Petty Officer, Leading Seamen and Seaman I & II who are within the authorised married establishment and who are not paid compensation in lieu of quarters.

(e) Non-availability of married accommodation in the case of Petty Officers, Leading Seamen and Seaman I & II who are not within the authorised married establishment and are not eligible for the grant of compensation in lieu of quarters.

(f) Married accommodation allotted to Petty Officers and Leading Seamen and Seaman I & II for a period not covering one full complete academic year provided the individual is not entitled to compensation in lieu of quarters on vacation of Government accommodation.

(ii) In respect of children for whom Children Education Allowance was admissible on 31st Oct. 1973, the allowance will, however, continue to be admissible in accordance with the orders contained in Regulation 134-A et seq but at the revised rates, even if the above conditions are not satisfied, so long as he|they continues|continue to study at the same place or within the same district, where he|they was|were studying on the 31st October, 1973 and for the period for which they were|are otherwise eligible for the grant of the allowance.

(iii) Subject to the above terms and conditions service personnel who are citizens of Nepal, Sikkim and Bhutan may be granted Children's Education Allowance in respect of their Children studying in schools in their respective country|state in addition to those children studying in schools in India.

(iv) where the Children Education Allowance is claimed, the officer commanding of the unit|formation will furnish the following certificate(s) to accompany the claim :—

(a) Non-availability of a school of the requisite standard at the place of Posting or availability of school of requisite standard at station of posting but denial of admission therein on the basis of information obtained from the educational authorities.

NOTE : In all past cases, the above mentioned certificate may be rendered by the Officer Commanding or Head of Department, without obtaining information from the concerned educational authorities due to difficulties involved in collection of such information due to lapse of time.

OR

(b) Location of unit in a field|sensitive area where families are specifically debarred from living with the head of the family.";

(33) in regulation 135-A, for the figures "80 per cent" the figures "100 per cent" shall be substituted;

(34) in regulation 145, for the figures "80 per cent" the figures "100 per cent" shall be substituted;

(35) in regulation 148, in sub regulation (1), for the existing table the following shall be substituted, namely :—

TABLE

Depth		Rate for the time under water or Compression
Fathoms	Metres	Paise per minute
(a) Upto 20	36.58	10
(b) 20 to 30	36.58 to 54.86	15
(c) 30 to 40	54.86 to 73.15	20
(d) 40 to 50	73.15 to 91.44	30
(e) 50 to 60	91.44 to 109.73	40
(f) 60 to 75	109.73 to 137.16	55
(g) 75 to 100	137.16 to 182.88	70";

(36) in regulation 148-A, in sub regulation (1), for the existing table the following shall be substituted, namely :—

TABLE

	Rs. per month
(i) Clearance Divers Class I	75
(ii) Clearance Divers Class II	65
(iii) Clearance Divers Class III	55";

(37) in regulation 149, in sub-regulation (1), for item "(ii) Divers" and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

"Ship's Divers	Rs. 75/- per month
Deep Divers	Rs. 87/- per month";

(38) in the heading to regulation 150, for the word "Examination" the word "Ex-patriation" shall be substituted;

(39) for heading "Flying Bounty" and regulation 151, the following shall be substituted, namely :—

"Flying Pay

151. Rates.—(1) An aircrewman borne against sanctioned vacancy shall, during the period of his aircrew service, be paid in addition to his normal pay and allowances a flying pay of Rs. 374.50 per month. This will be treated as pay for all purposes except for pension and gratuity.

(2) Admissibility and its conditions.—The payment will be subject to the following conditions :—

(a) The aircrewman subscribes monthly the difference between Rs. 75 and monthly amount of the premia paid by him for sustaining endowment assurance policy|policies (Life Insurance Corporation of India or Postal Life Insurance Fund) covering aviation risks also, to the Armed Forces Personnel Provident Fund in addition to the compulsory minimum rate of subscription payable to the Armed Forces Personnel Provident Fund. Such additional subscription will commence from the pay of the month following that in which he qualifies for the flying pay.

(b) The aircrew man obtains an additional life insurance cover against all risks for a minimum amount of Rupees One Lakh through the Group Insurance (Naval) Scheme. Survival benefits to the personnel under the above insurance scheme as admissible will also be payable on retirement|release.

(3) The flying pay shall be admitted on rendition of a certificate as given below :—

"FLYING PAY CERTIFICATE

(To be rendered at the end of quarters 31 March, 30 June, 30 September and 31 December)

Certified that (Service No.)——————
Rank —————— (Name) ——————
Trade——————————

(a) *has made adequate use of flying facilities provided to him and has maintained an acceptable level of proficiency.

*did not have any facilities or opportunity to fly, but is capable of flying on return to flying duties.

(b) has fulfilled the conditions regarding minimum additional contribution to Armed Forces Personnel Provident Fund|Compulsory Insurance Cover.

(c) has not been declared permanently medically unfit for flying duties.

Commanding Officer|
Superior Officer.

*Delete whatever is not applicable.";

(4) Flying pay will be admissible for the period of annual leave portion of leave pending retirement. Rendition of the certificate as required above will not be necessary for the drawal of flying pay during annual leave portion of leave pending retirement.

(40) In regulation 152, in sub-regulation (2) for letter and figures, "Rs. 100" the letter and figures "Rs. 250" shall be substituted;

(41) in regulation 154, in sub regulation (2), for the letters and figures "Rs. 2.00" the letters and figures "Rs. 7.00" shall be substituted;

(42) in regulation 155,

(i) for sub-regulation (1), the following shall be substituted, namely :—

"(1) Hardlying money shall be payable to sailors including those belonging to record parties under the conditions specified in Regulation 58 at full or half rate according to the classification of ships laid down in Regulation 60.";

(ii) in sub-regulation (2), for the table the following shall be substituted, namely :—

"TABLE

Sailors	Monthly Rates	
	Full Rates	Half Rates
	Rupees	Rupees
Master Chief Petty Officer I & II	35.00	17.50
Chief Petty Officers	35.00	17.50
Petty Officers	30.00	15.00
Leading Seamen	30.00	15.00
Seamen I and II	25.00	12.50
Boys	20.00	10.00"

(43) after regulation 156, the following heading and regulation shall be inserted, namely :—

"High Altitude|Uncongenial Climate Allowance

156-A. Admissibility and rates.—High altitude|uncongenial climate allowance at the following rates shall be admissible to sailors serving in the area defined by the government from time to time, under the following conditions :—

	Rupees per month
Master Chief Petty Officer I & II Chief Petty Officer	90
Petty Officer Leading Seaman	70
Seaman I & II	50

(2) This allowance shall be admissible from the date on which an individual arrives in the specified area on being posted to a unit|formation in that area and subject to the following exceptions; it shall cease on the date following that on which he leaves the area.

Exceptions.—An individual who is absent from the area for a maximum period of 14 days in one or more of the following circumstances shall continue to receive the allowance provided he returns to the area in which the allowance is admissible.

(i) when placed on the sick list;

(ii) when on causal leave;

(iii) when on temporary duty;

Explanation I.—The allowance shall not be admissible to individuals holding posts elsewhere who proceed on temporary duty to the specified area. However, the allowance shall be admissible to individuals holding posts elsewhere who are attached to units etc. in the specified area for a continuous period of more than 14 days, if the are not in receipt of daily allowance as admissible to individuals proceeding on temporary duty.

Explanation II.—Individuals serving with detachments within the specified area shall be treated as posted for the purpose of admissiblity of the allowance, if the detachment are deployed in the area for a continuous period of more than 14 days. Conversely, individuals of units|formations which are located within the defined area, who move with detachments outside the area shall cease to be eligible for the allowance if the detachments remain outside the area for a continuous period of more than 14 days.

Explanation III.—The allowance shall not be ammissible to individuals when they are absent from the area on annual leave, sick leave or any other leave except casual leave.

Explanation IV.—The allowance shall be admissible while on transit from one qualifying area to another.

(3) The special compensatory allowance admissible for concessional area shall not be admissible in addition to this allowance ";

(44) in regulation 162, after clause (1) the following shall be inserted, namely :—

"(m) When attending NCC camps at outstations where rations cannot be supplied by the Government

(i) upto 30 days Commander NCC Group HQ

(ii) Beyond 30 days Director, NCC States.";

(45) after regulation 172-B, the following subheading and regulation shall be inserted, namely :—

"Sea Duty Allowance

172-C. Admissibility and rates.—This allowance at the following rates will be admissible to all sailors serving afloat, including those attached on temporary duty, during the periods their ships are actually away from the base ports.

Rank	Rupees per month
Master Chief Petty Officers I & II, Chief Petty Officers	53
Petty Officers	38
Leading Seaman	33
Seamen I and II	30";

(46) in regulation 174, for the table, the following shall be substituted, namely :—

"TABLE

Category		Rupees per annum"
1st Class Survey Recorder	Master Chief Petty Officers Class I & II	700
	Chief Petty Officer	600
	Petty Officers and below	500
	2nd class Survey Recorder	400
	3rd class Survey Recorder	300";

(47) in regulation 176, in sub-regulation (1), in the table, before entries relating to the Chief Petty Officer, the following entries shall be inserted, namely :—

"Rating	Daily Rate	Monthly ceiling
Master Chief Petty Officer Class I & II	Rs. 2/-	not laid down";

(48) (i) in regulation 176-A, in sub-regulation (1), for the table, the following shall be substituted, namely :—

"Rank	Rupees per month
Master Chief Petty Officer I and II	350
Chief Petty Officer	300
Petty Officer	275
Leading Seaman	265
Seaman I and II	250";

(ii) after sub-regulation (4), the following new sub-regulation shall be inserted, namely :—

"(5) Submarine pay at the above rates will be admissible subject to an additional life insurance cover against all risks for a minimum amount of Rupees One Lakh being taken by the concerned personnel through the Group Insurance (Naval) Scheme. Survival benefits to the personnel under the above insurance scheme as admissible will also be payable on retirement|release.";

(49) after regulation 176-A, the following subheading and regulation shall be inserted, namely :—

"176-B. Shorthand allowance.—Shorthand allowance @ Rs. 30|-p.m. will be admissible to (a) one Leading Writer|writer when performing the duties of the Stenographer in Ships commanded by Captains and in Leaders of Squadrons; (b) one Chief Petty Officer Writer|Petty Officer Writer on the staff of the Flag Officer Commanding, Indian Fleet when performing the duties of the stenographer on the following conditions :—

(i) The allowance will be paid only if the individual is adjudged as qualified stenographer and passes the prescribed trade tests.

(ii) The allowance will only be admissible while serving on board a ship when civilian stenographers are not available.";

(50) after regulation 177-A, the following subheading and regulation shall be inserted, namely :—

SUBSISTENCE ALLOWANCE TO FAMILIES OF SAILORS AWARDED IMPRISONMENT|DETENTION

177-B. Admissibility and Rates.—A subsistence allowance of Rs. 60|- per month shall be paid to the family of married sailors who are awarded imprisonment or detention by their Commanding Officer of by a Court Martial and who are not dismissed from

service. The allowance shall be payable during the period the pay and allowances are forfeited. The allowance shall be adjusted against any credits that might later become available by way of remission or acquitted to the individuals.

Note :When the above amount is remitted by money order, the money order commission shall be charged to the Government.";

(51) after regulation 178-A, the following sub-heading and regulation shall be inserted, namely :—

"Bonus

178-B — Admissiblity of Bonus.—Bonus will be credited in the individual running ledger account of saliors at the rate of Rs. 43.75 per quarter on each completed sum of Rs. 50|- of credit balance in the ledger account as it stood at the end of each quarter less net pay and allowances for the last month of the quarters. Sums of less than Rs. 50|- in the balance will be disregarded.

In the case of individuals, who become casualties, bonus will be credited upto the last day of the quarter preceding that in which their accounts are finally closed.

No income tax will be charged on this bonus.";

(152) for regulation 191, the following shall be substituted, namely :—

"191. Gallantry decorations awarded after the 15th August,

1947 — Rates and conditions.—(1) The rates of special pension per month attached to gallantry decorations awarded to any officer or sailor shall be as given hereunder :—

	Gallantry Award	Pension per month
(a)	(i) Param Vir Chakra	Rs. 100.00
	(ii) Each Bar to Param Vir Chakra	Rs. 40.00
(b)	(i) Maha Vir Chakra	Rs. 75 00
	(ii) Each Bar to Maha Vir Chakra	Rs. 25 00
(c)	(i) Vir Chakra	Rs. 50 00
	(ii) Each Bar to Vir Chakra	Rs. 20.00
(d)	(i) Ashoka Chakra	Rs. 90.00
	(ii) Each Bar to Ashoka Chakra	Rs. 35 00
(e)	(i) Kirti Chakra	Rs. 65.00
	(ii) Each Bar to Kirti Chakra	Rs. 20.00
(f)	(i) Shourya Chakra	Rs. 40.00
	(ii) Each Bar to Shourya Chakra	Rs. 16.00

The above rates will take effect from 1st January 1972 and will be applicable to all awards made after 15th August 1947.

(2) The pensions shall be admissible with effect from the date of the act or event in respect of which the decoration is granted.

(3) Pension for only one decoration (and a bar or bars thereto) shall be drawn at a time; and the less favourable rate of pension shall be relinquished from the date of grant of the higher decorations.

(4) The pension shall be admissible to the recipient of the decoration till his death, and on his death to his widow who has been lawfully married to him by valid ceremony; and she shall continue to receive the pension until her re-marriage or death :

Provided that such payment shall be continued to a widow who remarries her late husband's brother and continues to live with the deceased's other living heirs who are eligible for family pension.

Explanation.—Ordinarily, the pension payable to an officer|salior shall, on his death, be paid only to the widow who was his first wife. But with the special sanction of the Central Government, such pension may be divided equally between all the widows of the recipient, and payments to all the widows shall cease when the pension to the widow who was his first wife, ceases to payable as hereinbefore provided.

(5) When the award is made posthumously to a bachelor, the monetary allowance shall be paid to his father or mother, and in case the posthumous awardee is a widower, the allowance shall be paid to his son below 18 years or unmaried daughter as the case may be.

(6) Pension under this regulation is liable to be forfeited on conviction for the following offences and shall be stopped with effect from the date indicated in the Gazette of India notifying the forfeiture of the award namely :—

(a) Treason
(b) Sedition
(c) Mutiny
(d) Cowardice
(e) Desertion during hostilities
(f) Murder
(g) Dacoity
(h) Rape
(j) Unnatural offences.

Such pension as may have been forfeited shall become payable on the restoration of the award as notified in the Gazette of India.";

(53) for regulations 209 and 210, the following shall be substituted, namely :—

"209. Compensation in respect of officers.—(1) If any article of equipment, clothing (including personal clothing), books, instruments, tools or accessories being the personal property of an officer is lost damaged or destroyed under circumstances mentioned below the Government shall be liable to pay compensation to the officer provided the loss, damage or destruction was not due to the negligence on part of the claimant.

(i) When the loss, damage or destruction is caused by the action of the enemy or insurgents;

(ii) When the loss, damage or destruction is due to an accident occurring when the officer was travelling by road, river, rail, sea or air on duty;

(iii) When the articles are lost, damaged or destroyed in a Naval Ship or a Government building, whether owned, hired or rented, or in a tent in use under appropriate authority and for a recognised service purpose, provided the officer had no option but to live in such accommodation for the performance of his Naval duties.

(iv) When the articles are lost, damaged or destroyed, while in transit by rail, road, air, river or sea provided that they were in the charge and custody of Government at that time.

(v) When the articles are destroyed under the orders of the competent authority;

(vi) When the articles are lost, damaged or destroyed during the performance of duty.

2. Compensation will be sanctioned on the basis of the recommendations of a Board of Inquiry convened by the Administrative Authority. In respect of items which an officer is required to purchase out of outfit allowance, the Board of Inquiry will determine the proportion which the cost of such item destroyed bears to the total cost of all items purchased out of initial outfit allowance granted at the time of commissioning and the compensation will be limited to the same proportion of the initial outfit allowance.

3. Articles of equipment clothing or necessaries which are issued free will be replaced by Government on the recommendations of the Board of Inquiry.

4. Compensation for the loss of clothing (including personal clothing) equipment and articles occurring in the above-mentioned circumstances may also be sanctioned by the Administrative authority if recommended by the Board of Inquiry, subject to a limit of Rs. 1,000/- in each individual case. Compensation will not cover items like jewellery, refrigerators, air conditioners and other expensive articles. The competent authority will take into account the cost price of the articles, the period for which they had been used, and their depreciation while assessing the amount of compensation. Where the Board of Inquiry recommends compensation in excess of the above amount the case may be referred to Government for consideration on merits.

21. Compensation in the case of sailors.—(1) If any article of equipment, clothing (including personal clothing), books, instruments, tools or accessories, being the personal property of a sailor is lost, damaged or destroyed under circumstances mentioned below, the Government shall be liable to pay compensation to the sailor provided the loss, damage or destruction was not due to the negligence on part of the claimant.

(i) When the loss, damage or destruction is caused by the action of the enemy or insurgents;

(ii) When the loss, damage or destruction is due to an accident occurring when the individual was travelling by road, river, rail, sea or air on duty;

(iii) When the articles are lost, damaged or destroyed in a Naval Ship or a Government building whether owned, hired or rented, or in a tent in use under proper authority and for a recognised service purpose provided the individual had no option but to live in such accommodation for the performance of his duties;

(iv) When the articles are lost, damaged or destroyed while in transit by rail, road, air, river or sea provided they were in the charge and custody of Government at that time;

(v) When the articles are destroyed under the orders of the competent authority;

(vi) When the articles are lost, damaged, or destroyed during the performance of duty.

(2) Compensation will be sanctioned on the basis of the recommendation of a Board of Inquiry by the Administrative authority. The maximum limit for compensation in respect of personal clothing will be the "frozen rates."

(3) Articls of equipment, clothing or necessaries which are issued free, will be replaced by Government on the recommendation of the Board of Inquiry.

(4) Compensation for the loss of clothing (including personal clothing) equipment and articles occurring in the above mentioned circumstances may also be sanctioned by the Adviministrative Authority of recomed by the Board of Enquiry, subject to a limit of Rs. 500/- in each individual case. Compensation will not cover items like jewellery, refrigerators, airconditioners and other expensive articles. The competent authoity will take into account the prices of the articles, the period for which they had been used, and their depreciation while assessing the amount of compensation. Compensation in the case of civilian clothing will be restricted to the civilian clothing allowance. Where the Board of Inquiry recommends compensation in excess of the above amount the case may be referred to Government for consideration on merits".

(54) regulation 220 of the said Regulations is amended as under :—

Insert the words "other than those falling under Regulations 209 and 210" after the words "compensation" occurring in line 2 of the above Regulation.

(55) for Regulation 246, the following shall be substituted, namely :—

"246. Advance for the payment of customs duty.—Officers holding regular posts abroad and those sent on deputation to foreign Governments whose term of assignment is one year or more, who are entitled to motor car advances, under Regulation 245, may be sanctioned advances by the Central Government to enable them to meet the customs duty on the cars purchased abroad and being brought by them to India on transfrer. The authority competent to sanction these advances shall be the Government of India.

NOTE :—No interest shall be chargeable on the advance sanctioned for the payment of customs duty.

(2) The advance for the payment of customs duty in India, shall be treated as a separate advance and shall not be merged with the advance, if any, already sanctioned for the purchase of motor car.

(3) The amount of advance for the payment of customs duty shall be Rs. 12000 or the customs duty actually payable. Where an officer has already drawn an advance for the purchase of motor car, which is not fully repaid, the amount of customs duty advance together with the outstanding balance of motor cars advance shall not exceed Rs. 14000 or 14 months' pay (17 months' pay in the case of officers drawing pay less than Rs. 1000|- p.m.) whichever is less.

NOTE:—The amount of advance granted for the payment of customs duty shall in no case exceed the customs duty actually payable.

(4) The amount of customs duty advance shall be adjusted against the amount subsequently reimbursed to the officer concerned for the payment of customs duty. In case the principal amount of the advance cannot be adjusted in full against the amount reimbursed in terms of the orders in force, the outstanding amount shall be recovered in lump sum from the pay of the officer concerned in the month immediately following that in which the customs duty is reimbursed.

(5) The recovery in the case of an officer who is due to retire shall be so regulated that the outstanding advance is recovered in full by the time the last pay is issued to the officer before retirement.

(6) The advance for the payment of customs duty shall not be admissible to officers sent abroad, but not entitled to motor car advance under regulation 245 e.g., these sent on deputation abroad on temporary duty.

(7) The other conditions prescribed for the sanction of an advance for the purchase of a motor car shall apply mutatis-mutandis in the case of the advance for the payment of customs duty.

(8) The forms of mortgage bond to be executed for the undermentioned advances are laid down in Appendices XI-C and XI-D:—

(a) When only one advance is sanctioned for the purchase of a motor car or for the payment of customs duty or when only one advance is sanctioned for both purposes-Appendix XI-C and;

(b) Where the advance for the payment of customs duty is sanctioned after the motor car has been purchased with an earlier advance —Appendix XI-D."

(56) after regulation 246, the following regulation shall be inserted, namely :—

"246 A. Additional conditions—In cases where the officers are entitled to draw advance under regulation 246 but are not entitled to the reimbursement of customs duty on the cars purchased abroad and brought by them to India, for which import licence is ordinarily admissible the advance shall be subject to the following conditions :—

(a) The amount of advance for the payment of customs duty should be restricted to Rs. 12000|- or the customs duty actually payable whichever is less. Further, the amount of customs duty adance, together with the outstanding balance in respect of the advance, if any, drawn previously for the purchase of the car but not fully repaid, should not exceed Rs. 14000|- or 14 months pay (17 months pay in the case of officers drawing pay less than Rs. 1000|- p.m.) whichever is less.

(b) The sanction to this advance shall not be imbursement of customs duty which shall be cited as argument for claiming reiming regoverned strictly by the Government orders issued on the subject.

(c) The officer will not be allowed to sell his car till the advance is repaid.

(d) The Head of the Missions and the Defence Ministry should certify that the maintenance of car was necessary by the Government servant in the public interest in the country or countries of posting abroad and would also be necessary in the efficient discharge of his duties in India.

(e) The car shall be kept comprehensively insured including insurance against riot and civil commotion by the individuals as long as any amount of the advance alongwith interest thereon remains outstanding.

(f) The advance for the payment of customs duty in India should be treated as a separate advance and should not be merged with the advance, if any, already sanctioned for the purchase of the motor car.

(g) The advance granted for the payment of customs duty will be recoverable in not more than sixty instalments. The recovery of customs duty advance should not be related to the outstanding recoveries in respect of the earlier advance, if any, sanctioned for the purchase of the motor car, the recoveries against the eariler advance, will be made in accordance with the terms and sanction thereof even after the sanction of this advance.

(h) The recovery of the customs duty advance in the case of an officer who is due to retire should be so regulated by stepping up the amount of instalments that the advance together with the interest thereon is recovered in fully by the time the last pay is drawn by the officer before retirement.

(i) In the case of quasi-permanent or temporary officer, the surety of a permanent Central Government servant of comparable or higher status should be obtained before sanctioning the advance.

(j) The authority competent to sanction the advance will be the Government of India. The other conditions precribed for the sanction of an advance for the purchase of a motor car will apply mutatis mutandis in the case of this advance.

(k) These orders will not apply to the officers not holding regular posts abroad i.e. those sent on deputation abroad on Temporary duty. Officers sent on deputation to United Nations Organisations and its various agencies shall, however, be entitled to the grant of advance.

(l) The advance will bear interest at the same rate as is applicable to the advance for the purpose of motor car."

(57) For regulation 248, the following regulation shall be substituted, namely :—

"248. Sanctioning authorities (1) Officer to whom advances for the purchase of motor cycles are admissible and the authorities empowered to sanction them are given in the table below :—

To whom admissible	Sanctioning Authority
1	2
(a) All Naval Officers (other than the Chief of the Naval Staff) serving at Naval Headquarters	The Chief of the Naval Staff
(b) All Naval Officers serving in Naval Shore Establishment outside Naval Headquarters	(i) The Flag Officer, Commanding-in-Chief, Western Naval Command, Bombay. (ii) The Flag Officer, Commanding-in-Chief, Eastern Naval Command, VISHAKHAPATNAM. (iii) The Flag Officer, Commanding, Southern Naval Area, Cochin. As the case may be.
(c) Naval Officer Serving in afloat appointments	(i) The Flag Officer, Commanding-in-Chief, Western Naval Command, Bombay. (ii) The Flag Officer, Commanding-in-Chief, Eastern Naval Command, VISHAKHAPATNAM. (iii) The Flag Officer, Commanding, Southern Naval Area, Cochin as the case may be.
(d) Instructional Staff and student officers, Defence Services Staff College, Wellington.	Commandant, Defence Services Staff College, Wellington.
(e) Staff and Student Officers, paid from Defence Services Estimates, National Defence College, New Delhi.	Commandant, National Defence College, New Delhi.

(2) The advance shall be upto Rs. 3500 or ten months pay or anticipated price of the motor cycle, whichever is least",

(58) in regulation 253, for the existing clause (a) to (f), the following shall be substituted, namely :—

"(a) Naval Officer-in-Charge	In the case of personnel serving under them.
(b) Commanding Officer of Shore Establishment	In the case of personnel serving under them.
(c) The Flag Officer Commanding-in-Chief, Western Naval Command, Bombay (d) The Flag Officer Commanding-in-Chief, Eastern Naval Command, Vishakhapatnam	In all other cases as the case may be.
(e) The Flag Officer Commanding, Western Fleet (f) The Flag Officer Commanding, Eastern Fleet (g) The Flag Officer Commanding-in-Chief, Southern Naval Command, Cochin	In all other cases as the case may be.

(59) For regulation 257B, the following shall be substituted, namely : —

257B—Advance of pay on even of important fesitvals :—

(1) Eligibility sailors serving on regular engagement, Boys and Apprentices, whose pay does not exceed Rs. 600|- per month may be granted advance of pay on the eve of important festivals subject to the following terms and conditions :—

(a) The amount of advance will be Rs. 200|- or one month's pay (including appointment pay, Good Conduct pay and acting allowance) whichever is less.

(b) The advance must be drawn before the festival concerned. It is admissible only to those on duty and whose Individual Running Ledger Accounts do not show debtor balances at the time the advance is drawn.

(c) The advance will be recovered in not more than ten equal monthly instalments, the first recovery commencing with the next month's regular payment. The amount of each instalment will be rounded off to the nearest rupee, the balance being recovered in the last instalment.

(d) The advance will be admissible only on one occasion in a calendar year. The Commanding Officers of ships and establishments will fix the festival occasions on which advance will be allowed, after taking into consideration the importance attached locally to such festival.

(e) A second festival advance should not be sanctioned till the earlier festival advance sanctioned on a previous occasion has been recovered in full.

(f) In case of festival falls twice in a calendar year, the advance will be admissible only on one occasion.

(2) Sanctioning Authoriy.—The Commanding officer of the ship|establishment is authorised to grant advance of pay on such occasion. He may at his discretion sanction such advance to sailors not serving on a regular engagement who have completed three years of continuous service and are likely to continue in service till the adjustment of the advance.

Explanation—The Republic Day and Independence Day may be treated as festival occasions for the purpose of advance of pay.

(60) In regulation 266, for the existing table, the following shall be substituted, namely :—

"Honorary Sub Lieutenant	Rs. 1000/- per month
Honorary Lieutenant	Rs. 1100/- per month"

(61) In regulation 269, for the figures "720", the figures "1440" shall be substituted;

(62) After regulation 272, the following shall be substituted, namely :—

"Sea Duty Allowance

273. Admissibility and Rates—Sea Duty Allowance at the rate of Rs. 53|- per month will be admissible to all Honorary Commissioned Officers serving afloat, including those attached on temopary duty, during the periods their ships are actually away from the base ports.";

High Altitude|Uncongenial Climate Allowance

274. Admissibility and Rates.—Honorary Commissioned Officers shall be entitled to High Altitutde|Uncongenial Climate Allowance at the rate of Rs. 90|- per month under the conditions applicable to sailors as laid down in regulation 156A.";

(63) For Appendices II and III, the following shall be substituted, namely :—

"Appendix-II

Rates of pay for General List Officers of all branches (excluding Naval Aviation and Submarine branches)

(See regulation 4)

Year of Service	Acting Sub-Lieutenant Rs. p.m.	Sub-Lieutenant Rs. p.m.	Lieutenant Rs. p.m.	Lieutenant Commander Rs. p.m.	Acting Commander Rs. p.m.	Commander Rs. p.m.
1	750	—	—	—	—	—
2		830	—	—	—	—
3		870	—	—	—	—
4			1100	—	—	—
5			1150	—	—	—
6			1200	—	—	—
7			1250	—	—	—
8			1300	—	—	—
9			1350	—	—	—
10			1400	1450	—	—
11			1450	1500	—	—
12				1550	1750	—
13				1600	1750	—
14				1650	1750	—
15				1700	1750	—
16				1700	1750	—
17				1750	1800	1800
18				1800	1850	1850
19				1800	1900	1900
20				1800	1950	1950
21				1800	1950	1950
22				1800	1950	1950
23				1800	1950	1950
24				1800	1950	1950

Time Scale Commander	Rs. 1900/- p.m.
Captain	Rs. 1950-75-2100-100-2400 Acting or Substantive
Rear Admiral	Rs. 2500-/-125/2750
Vice Admiral	Rs. 3000/- p.m.
Chief of Naval Staff	Rs. 4000/- p.m.

Note 1.—Commodores will receive rates of pay to which entitled according to their seniority as Captains.

Note 2.—Officers substantively promoted to the rank of Commander by time scale who are not held against authorised appointments will draw a fixed pay of Rs. 1900/- per month. However, such officers when appointed to officiate in the vacancies tenable by Commanders (Selective) for a period not exceeding six months at a time shall draw the pay admissible to the latter.

Note 3.—Officers of other than aviation and submarine Branches granted higher paid acting rank of Lieutenant Commander will receive pay as under :—

Till the completion of 8th year of service	Rs. 1350/-
9th year of service	Rs. 1400/-

APPENDIX—III

Rates of pay for General List Officers of Naval Aviation and Submarine Branches

(See Regulation 4)

Year of Service	Acting Sub-Lieutenant	Sub-Lieutenant	Lieutenant	Lieutenant Commander	Acting Commander	Commander
	Rs. p.m.	Rs. p.m.	Rs. p.m.	Rs. p.m.	Rs. p.m.	Rs. p.m.
1	825					
2		910				
3		950				
4			1200			
5			1250			
6			1300			
7			1350			
8			1400	1450		
9			1450	1500		
10			1500	1550		
11			1550	1600	1750	
12				1650	1800	1800
13				1700	1850	1950
14				1700	1900	1900
15				1750	1950	1950
16				1800	1950	1950
17				1800	1950	1950
18				1800	1950	1950
19				1800		
20				1800		
21				1800		
22				1800		
23				1800		
24				1800		

Time Scale Commander Captain Rear Admiral	Rs. 1900/- p.m. Rs. 1950-75-2100-100-2400 Rs. 2500-125/2-2750	Acting or Substantive
Vice Admiral	Rs. 3000/- p.m.	
Chief of the Naval Staff	Rs. 4000/- p.m.	

Note 1 — Commodores will receive rates of pay to which entitled according to their seniority as Captains.

Note 2 — Officers substantively promoted to the rank of Commander by Time-Scale who are not held against authorised appointments will draw a fixed pay of Rs. 1800/- per month. However, such officers when appointed to officiate in the vacancies tenable by Commanders (Selective) for a period not exceeding six months at a time shall draw the pay admissible to the latter.

Note 3 — Officers of Aviation and Submarine Branches granted higher paid acting rank of Lt. Commanders will receive pay as under:—

Till the completion of

7th year of service—Rs. 1400 per month.";

(64) Appendix IV shall be deleted;

(65) Substitution of Appendices V, VI & VII for appendices V, VI and VII, the following shall be substituted, namely :—

"APPENDIX V

Rates of pay for General List officers (Ex-Branch List) Substantive Rank

(See regulation 4)

Lieutenant Commander	Rs. per month
On promotion	1550
After 1 year's service	1600
After 2 year's service	1650
After 3 year's service	1700
After 4 year's service	1700
After 5 year's service	1750
After 6 year's service	1800
After 7 yezr's service	1800
After 8 year's service	1800
After 9 year's service	1800
After 10 year's service	1800
After 11 year's service	1800
After 12 year's service	1800
Commander	
On promotion	1850(*)
After 1 year's service as such	1900
After 2 year's service as such	1950
After 3 year's service as such	1950
After 4 year's service as such	1950

Note: An Ag Cdr will be entitled to fixed pay of Rs. 1800

Captain	Same as for Captain General List

APPENDIX VI

Rates of pay for Special Duty List Officers (Including Special Duties List Officers of Submarine Cadre).

(See regulation 4)

Special Duties List	Rs. per month
Action Sub-Lieutenant (SD) (On probation)	750
Acting Sub-Lieutenant (Temporary/ Sub-Lieutenant (SD)	830-40-950
Lieutenant (SD)	1100-50-1500
Lieutenant Commander (SD)	1550-50-1700-1700-50-1800
Commander (SD)	1800-50-1950
SpecialD uties List-Submarine Cadre	
Acting Sub-Lieutenant (SD) (On probation)	825
Acting Sub-Lieutenant (SD) (Temporary/Sub-Lieutenant (SD)	910-40-1090
Lieutenant (SD)	1200-50-1550
Lieutenant Commander (SD)	1650-50-1700-1700 50-1800
Commander SD)	1800-50-1950

APPENDIX VII

Midhsipmen Basic Pay

(See regulation—4)

Midshipmen Basic Pay.....Rs. 56 per mensem.";

(66) Sustitution of Appendix IX.—for Appendix IX the following shall be substituted, namely :—

APPENDIX IX

Rate of Pay for Sailors

(See regulation 125)

GROUP 'A'

Branches : All Artificers and Mechanicians

Apprenticers/ Artificers	Mechanicians	Rs. per month
Apprentice Ist year	—	195
Apprentice 2nd year	—	200
Apprentice 3rd year	—	205
Apprentice 4th year	—	210
Artificer V Class	—	240-6-246
Acting Artificer IV Class	—	300-8-308
Artificer IV Class	Mechanician IV Class	340-8-356
Artificer III Class	Mechanician III Class	391-10-441
Artificer II Class	Mechanician II Class	435-10-485
Artificer I Class	Mechanician I Class	500-10-550
Chief Artificer	Chief Mechanician	565-15-640
Master Chief Petty Officer II		620-20-740
Master Chief Petty Officer I		725-25-825

GROUP 'B' (Non Artificer)

Rank	Rs. per month
Seaman Under Training	215
Seaman II	230-6-242
Seaman I	240-6-312
Leading Seaman	250-6-310-8-326
Petty Officer	300-8-380
Chief Petty Officer	385-15-475
Master Chief Petty Officer II	480-20-600
Master Chief Petty Officer I	600-25-700

Note: On acquiring any of the Specialist qualifications given below, Medical Assistants, will for the purpose of pay be upgraded from Group 'B' to rates of pay admissible to corresponding categories of Naval Aviation Sailors.

Name of the specialist qualification courses	Class
(1) Advance Nursing	I & II
(2) Medical Stores	I & II
(3) Laboratory Assistant & Laboratory Technician	I & II
(4) Operating Room Technician	I & II
(5) Radiography (X Ray Assistants and/or Technicians)	I & II
(6) Special Diseases	I & II
(7) Physiotherapy	I & II
(8) Hygiene	I & II
(9) Psychiatric Nursing	I & II
(10) Dental Operating Room Assistant	I & II
(11) Blood Transfusion Assistant	I & II
(12) Dispenser	I & II
(13) Dental Technician/and/or Dental Hygienist	I & II

GROUP 'C' (Non-Artificer)

Rank	Rs. per month
Seaman Under Training	200
Seaman II	210-5-225
Seaman I	220-5-280
Leading Seaman	235-6-295-8-311
Petty Officer	300-8-380
Chief Petty Officer	385-15-475
Master Chief Petty Officer II	480-20-600
Master Chief Petty Officer I	600-25-700

NAVAL AVIATION SAILORS

Rank	Rs. per month
Seaman Under Training	245
Seaman II	255-6-267
Seaman I	285-7-369
Leading Seaman	310-7-380-8-396
Petty Officer	360-8-440
Chief Petty Officer	455-15-545
Master Chief Petty Officer II	550-20-670
Master Chief Petty Officer I	650-25-750

Note: Petty Officer Air Fitters/Petty Officer Air Ordnance Fitters selected to undergo Aircraft Mechanician Course, on being advanced to Aircraft Mechanician 4th Class, shall continue to receive pay in their existing scale until such time as they reach the same level of pay as Aircraft Mechanicians.

NON ARTIFICER SAILORS OF SUBMARINE ARM

Rank	Rs. per month
Seaman Under Training	245
Seaman II	255-6-267
Seaman I	285-7-369
Leading Seaman	310-7-380-8-396
Petty Officer	360-8-440
Chief Petty Officer	455-15-545
Master Chief Petty Officer II	550-20-670
Master Chief Petty Officer I	650-25-750

Note: Artificer/Mechanician sailors of Submarine Arm will get the Group 'A' rates of pay

BOYS

	Rs. per month
On enrolment	55.00
On completion of initial training	58.00
Boy Seagoing	80.00

General Note: In addition to the scales of pay indicated above 'Good Conduct Badge Pay' will be admissible at the existing rates and under the existing conditions.";

(67) in Appendix XI-C,—

(i) below the heading, for the brackets, words and figures "(see regulation 239 (4) and 243)" the brackets, words and figures "(see regulation 239(4), 243 and 246)" shall be substituted ;

(ii) The following note shal be added at the end namely :—

"Note :—Since no interest is chargeable on the advance sanctioned for the payment of custom dtuy the term interest used in the agreement form, shall not be applicable to this advance.";

(68) For 'Appendix XI-D' the following Appendix shall be substituted, namely :—

"APPENDIX XI—D

Form of Mortgage Bond for an Advance for the payment of Customs Duty on a Motor Vehicle Purchased with a separate earlier Advance

(See regulation 146)

THIS DEED OF FURTHER CHARGE is made this .....day of..... .....BETWEEN..... ..... son of.....hereinafter called "the Borrower", which expression shall, unless excluded by or repugnant to the subject or context, include his successors and assignee) of the one part and the President of India, (hereinafter called "the Government", which expression shall, unless excluded by or repugnant to the subject or context, include his successors and assignees) of the other part.

Whereas by Deed of Mortgage dated the.....day of.....the Borrower by pothecated to the Government the motor vehicle described in the Schedule thereto to secure the motor vehicle purchase advance of Rs. .....at the rate and on conditions mentioned in the said Deed of Mortgage (hereinafter referred to as the Principal Deed).

And whereas out of the said sum of Rs..... advanced to the Borrower by Government a sum of Rs.....towards principal as per the term of Principal Deed still remain due and payable to the Government.

And whereas the Borrower being in need of a further advance of Rs. ... . on the terms of regulation 246 of the Navy (Pay and Allowances) Regulations, 1966 (hereinafter referred to as "the said regulations") towards payment of customs duties payable on the said vehicle at the time of bringing the same into India.

And whereas the Borrower has approached the Government for an advance of further sum of Rs.....and the Government has agreed to lend the same on the same security and on terms hereinafter expressed.

And whereas the Borrower has paid the customs duty in respect of the said motor vehicle with or partly with the amount so advanced.

Now this deed witnesseth :—

1. In pursuance of the said agreement and in consideration of the further sum of Rs.....(in words as well as in figures) advanced to the Borrower (receipt of which the Borrower hereby acknowledges) the Borrower hereby covenants with the Government to repay to the Government the sum of Rs..... or the balance thereof remaining unpaid at the date of these presents by instalments in the manner hereinafter.

2. The Borrower shall repay the said sum due to the Government by equal payments of Rs..... each on the first day of every month so long as the principal moneys hereby secured or any part thereof due on this security remain unpaid and the Borrower doth agree that such payments may be recovered by monthly deductions from his salary to the manner provided by the said regulations "or where, in the event of his proceeding on deputation out of India for a period exceeding 12 months or of his being transferred to a post outside India, the competent authority has allowed repayment of the amount of advance remaining unpaid and/or interest as aforesaid on the happening of such an event in rupees in India, the Borrower doth hereby agree to pay to Government such dues by remittance through Bank Draft drawn by the 15th of every month in favour of the Controller of Defence Accounts (Navy)"

3. It is hereby agreed and declared that if any of the said instalments of the principal shall not be paid or recovered in the manner aforesaid within ten days after the same are due or if the Borrower dies or at any time ceases to be in Government service or if the Borower shall sell or pledge or part with the property in or of the said motor vehicle or become insolvent or make any composition or arrangement with his creditors or if any person shall take proceedings in execution of any decree or judgement against the Borrower, the whole of the principal sums and which shall then be remaining due and unpaid under these presents and the Principal Deed shall forthwith become payable.

4. In pursuance of the said agreement and the consideration aforesaid the Borrower doth hereby declare that the motor vehicle described in the Schedule (to the Principal Deed and which is also described in the Schedule) hereunder shall be security for and charged with payment to the Government as well of the said sum of Rs.....or the balance thereof remaining unpaid at the date of these presents secured under the said Principal Deed and the sum of Rs..... according to the covenant in that behalf herein before contained and that the same shall not be redeemed to redeemable until payment of the moneys secured under this deed and the Principal deed.

5. And it is hereby agreed that all powers, provisions and covenants contained and implied in the aforesaid Principal Deed in relation to the money secured thereby shall operate and take effect in like manner or securing payment of the principal and to the security as fully as if the same had been herein set out and specifically made applicable thereto and as if the said sum had formed part of advance secured by the Principal Deed.

THE SCHEDULE

Description of Motor Vehicle ....

Maker's name ....

No of Cylinders ....

Engine No ....

Cost Price ....

IN WITNESS WHEREOF the said ....and.................................for and on behalf of the President have hereunto set their respective hands the day and the year above written.

Signed by the said——————————————————————in the presence of:
(name and designation of the borrower)

1. ——————————— ———————————

2. ——————————— ———————————

(Signature of witness) (Signature and designation of the Borrower)

Signed by ——————————— ——————————— in the
(Name and designation of the President of India)

Presence of:

1. ——————————— ———————————

2. ——————————— ———————————

(Signature of witness) (Signature and designation of the Officer signing for and on behalf of the President of(India).

Note:— The Principal rules were published in the Gazette of India Part II, Section 4, dated 5th Jan 66 vide Government Notification, Ministry of Defence No. SRO 1-E dated 5th Jan 1966 and was subsequently amended by:—

(i) Government Notification No. SRO-9-E dated 19 Mar 74 Published in the gazette of India, Part II Section 4 at page 1 to 124.

DIHRENDRA SINGH, *Jt. Secy.*

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1976